

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

7 मार्च, 1989

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 7 मार्च, 1989

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	(9)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)3
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर,	(9)23
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(9)39
बिल—	
दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 1989	(9)40

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 7 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान सभा सैक्टर— 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैबर्म्ज, अब एक मिनिस्टर ओबिचुअरी रैफरैन्स करेंगे।

बाबा पृथ्वी सिंह आजाद

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, यह सदन प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी बाबा पृथ्वी सिंह आजाद के 5 मार्च, 1989 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

बाबा पृथ्वी सिंह आजाद का जन्म नवम्बर, 1892 में जिला पटियाला के लालडू गांव में हुआ। उन्होंने अपना राजनैतिक जीवन 1911 में शुरू किया, जब वह संयुक्त राज्य अमेरीका में लाला हरदयाल तथा दूसरे क्रान्तिकारी नेताओं के सम्पर्क में आए। वह गदर पार्टी के बानियों में से थे और उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू और गुरमुखी में "गदर" अखबार भी जारी किया। जब वह स्वदेश वापिस आए तो उन्हें लाहौर कांस्पीरेसी केस 1914-15 में मौत

की सजा सुनाई गई। बाद में इस सजा को आजीवन कारावास में तबदील करके उन्हें काले पानी की सजा देकर अण्डेमान जेल में भेज दिया गया। 3 साल पोर्ट ब्लेयर में कैद काटने के बाद उन्हें हिन्दुस्तानी जेल में लाया गया। इसके फौरन बाद ही जब उन्हें नागपुर जेल ले जाया जा रहा था तो यह पुलिस हिरासत से भाग खड़े हुए और 16 साल underground रहें। इस दौरान वह सन 1931 दौर सन 1934 में दो बार रूस गए। रूस से वापसी के बाद वह महात्मा गांधी के सम्पर्क में आए और उनके अनुयायी बन गए। महात्मा गांधी के आदेश पर ही उन्होंने सन 1938 में अपने आप को अंग्रेजी सरकार के हवाले कर दिया और उन्हें 27 साल की कैद सुनाई गई। मगर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो महात्मा गांधी के कहने पर सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। उन्होंने भारत छोड़ो आन्दोलन और गांधी जी के द्वारा चलाए गए दूसरे आन्दोलनों में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। आजादी के बाद उन्होंने अपनी सारी शक्तियां नौजवानों में खेल-कूद के द्वार। अनुशासन पैदा करने में और देश-प्रेम की भावना जगाने में लगा दीं। उन्होंने बुजुर्ग खिलाड़ियों के लिये आयोजित ओलम्पिक खेलों में भाग लिया और देश के लिये कई सोने के तमगे जीते। उनके लेखों के लिये उनको सोवियत लैण्ड नेहरू एवार्ड दिया गया।

उनके निधन से देश एक ऐसे महान् देशभक्त की सेवाओं से वंचित हो गया है जो राष्ट्र निर्माताओं की आने वाली पीढ़ियों के लिए निरन्तर प्रेरणा का स्रोत था। यह सदन दिवंगत

के शोक—संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों समाचार पत्रों में पढ़ कर और रेडियो पर सुनकर बड़ा दुख हुआ कि इस देश की एक महान विभूति जिन्होंने स्वाधीनता की मिशाल भारत में ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर जाकर भी जगाई का स्वर्गवास हो गया है। उनका सहवास, भारत के महान देशभक्तों के साथी लाला हरदयाल जो कि इतने बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे तथा कई प्रतिभाओं के स्वामी थे, के साथ रहा। जब ये अमरीका से आये तो भारत में बन्दी बना लिए गए और लाहौर कांस्पीरेसी केस में, सन 1914— 15 में इनको मृत्युदण्ड सुनाया गया जिसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया और काले पानी, जिसको पोर्ट ब्लेयर आज कल हम कहते हैं, वहां अंग्रेजों ने उन देशभक्तों को रखा। शहीद वीर सावरकर जी, भाई परमानन्द जी और अनेक देश भक्तों को वहां रखा जिन में से ये भी एक थे। जैसा कि हमारे आदरणीय संसदीय मन्त्री महोदय ने वर्णन किया है कि वे इतने क्रान्तिकारी थे कि जब उन्हें नागपुर से पुलिस ले जा रही थी तो वे उससे बच निकले। कई वर्षों तक अंडर ग्राऊंड रहें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। सत्याग्रही की भावना भी उनमें थी। उनका कहना था कि सत्य के लिए आग्रह करो, स्वयं अपने आपको औफर करो, कष्ट उठाओ और इस भावना से प्रेरित होकर कबा पृथ्वी सिंह आजाद ने अपने

आपको पुलिस के सुपुर्द कर दिया। आजादी के बाद वे चौन से बैठे नहीं, जीवन के अन्तिम क्षणों तक आने वाली पीढ़ी में खेल-कूद के माध्यम से गुण निर्माण करने का प्रयत्न करते रहें। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति संसार में आता है उसने जाना जरूर है, लेकिन ऐसी महान विभूतियां जिन्होंने देश के लिए भारी बलिदान दिया, जिन्होंने आजाद भारत की तस्वीर दिमाग में लाई होगी कि जब देश आजाद होगा और अंग्रेज यहां से चला जाएगा, तब अपना स्वराज्य आयेगा, लोग कैसे होंगे, शासनतन्त्र कैसा होगा। स्वतन्त्र होंगे तो अपना शासन करने वाले अपने लोग होंगे, जनता के लिए कितना दर्द होगा उनमें, कितने ईमानदार और भले लोग होंगे, लेकिन जिस प्रकार आज सारे देश का चित देख रहे हैं, लगता है उन्होंने वह कल्पना नहीं की होगी। तो भी उन्होंने जीवन के आखिरी दिनों में अपने आपको हताश-निराश नहीं किया, नवयुवकों को तैयार करते रहें। उनकी प्रेरणा से उम्हें कई स्वर्ण पदक भी मिले। ऐसी महान विभूति का संसार से चला जाना बड़े दुख की बात है और उन पर शोक प्रस्ताव लाकर संसदीय कार्य मन्त्री ने ठीक ही किया है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दिवंगत आत्मा के चरणों में अपना नत मस्तक प्रणाम करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: आनरेवल मैम्बर्ज, आजादी का एक और परवाना हमारे बीच में से चला गया है। हिन्दुस्तान का कौन सा नागरिक है जो बाबा पृथ्वी सिंह आजाद को नहीं जानता। जहां

तक मेरा ख्याल है गदर पार्टी में से ये आखीरले होंगे। उस वक्त दूसरे मुल्क में जाकर उस सरकार के खिलाफ गदर पार्टी बनानी, वहां से हथियार लाने, देश की इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना यह उन बहादुरों का, उन शूरवीरों का काम था जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे में से जा रहें हैं क्योंकि वे परमात्मा को भी प्यारे थे। परसों जब ट्रिब्यून में मोटी खबर देखी तो बड़ा दुख हुआ। पता तो था कि वे बीमार रहते हैं और उनकी वृद्धावस्था हो गई है लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी चले जाएंगे। सारे हाउस को इस बात का दुख है और मैं भी इस दुख में शरीक होता हूँ। हाउस ने जो रैजोल्यूशन इस बारे में रखा है और उस परिवार के प्रति जो प्यार और मुहब्बत का इजहार किया है, वह मैं उस परिवार को कन्वे कर दूंगा। अब मैं हाउस से प्रार्थना करता हूँ कि उस महान हस्ती के लिए दो मिन्ट का साइलेंस औब्जर्व करें।

(इस समय दिवंगत महानुभाव के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेगल मैम्बरज, अब सवाल होंगे।

Mates and Beldars in Karnal Circle

***698. Shri Surinder Kumar Madan :** Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) the number of Mates and Beldars working on regular basis in the P.W.D. (B & R) Karnal Circle at present ;

(b) the monthwise details of the total pay disbursed to them during the period from January, 1988 to December, 1 988 ; and

(c) whether any amount of pay of the employees out of those referred to in part (a) above has not been disbursed till December, 1 988 ?

Public Works Minister (Shri Om Parkash Bhardwaj)

:

(a) At present there are 38 Nos. Mates and 677 Nos. Beldars working on regular basis in Karnal Circle.

(b) Monthwise details of the total pay disbursed to Mates and Beldars during the period from January, 1988 to December, 1988 is placed on the table of the House. (Annexure 'A')

(c) Only one Beldar and One Gang Mate have not been paid during their absence period, for which no salary was required to be drawn or disbursed.

Annexure 'A'

Statement showing the monthwise details of the total pay disbursed to Mates/Beldars during the period from January 1988 to December, 1988.

Pay	Nos. of	Total Amount	Nos. of	Total Amount	Grand Total (Rs.)
-----	------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------

Month	Mates	(Rs. in lacs)	Beldars	(Rs. in lacs)	in lacs)
1/88	36	0.32	685	6.20	6.52
2/88	36	0.32	683	6.33	6.85--
3/88	36	0.33	683	6.36	6.69
4/88	35	0.34	683	6.44	6.78
5/88	35	0.34	683	6.48	6.82
6/88	35	0.34	683	6.56	6.90
7/88	35	0.34	683	6.57	6.91
8/88	35	0.34	683	6.58	6.92
9/88	37	0.39	678	6.56	6.95
10/88	37	0.39	678	6.58	6.97
11/88	38	0.40	681	7.05	7.45
12/88	38	0.40	677	7.05	7.45
G.	Total	4.25		78.76	8101

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, जो इतनी बड़ी लेबर रखी गई थी, उसका वर्क प्रोग्राम क्या था, खास कर जुलाई-अगस्त के लिए, और क्या उन्होंने वह टारगेट अचीव किया या नहीं?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, इसके बारे में सारी जानकारी तो नहीं दी जा सकती क्योंकि कोई बेलदार कहीं पर काम कर रहा था, कोई कहीं पर कर रहा था। जिसके जिम्मे जो काम था उससे वही काम लिया गया।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, इनका टारगेट 8 किलोमीटर जुलाई में और 8 किलोमीटर अगस्त में सड़क बनाने का फिक्स किया गया था लेकिन वहां सड़क बनो केवल 0.23 किलोमीटर जब कि वहां मैटीरियल भी मौजूद था। तो मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि टारगेट पूरा न करने में किस का कसूर था और यह क्यों अचीव नहीं हुआ?

श्री ओम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, ये सवाल करनाल सर्कल में काम कर रहे बेलदार और मेट्स के बारे में था पता नहीं ये रोड पर कैसे आ गये हैं ?

तारांकित प्रश्न सं० 773, 775 तथा 748

यह प्रश्न पूछे नहीं गए क्योंकि माननीय सदस्य श्री योगेश चन्द शर्मा, श्री जय सिंह राणा तथा श्री भगवान सहाय रावत, क्रमशः इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Sanskrit Language

***712. Shri Durga Dutt Attri :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Government has taken any

decision to promote the Sanskrit language in the State ; if so, the details thereof ;

(b) whether any Government grant is being given to such recognised Institutions holding Shastri/O. T. classes in the State ; if so, the details thereof ; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to start O .T. classes during the year 1989-90 in the State ; if so, the names of schools where the said classes are likely to be started ?

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): ब्यौरा सदन के पटल पर? रखा जाता है।

ब्यौरा

(क) (1) त्रिभाषा फार्मुला के अन्तर्गत सातवीं तथा आठवीं कक्षा के विद्यार्थी संस्कृत तृतीय भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं, पंजाबी, उर्दू तथा तेलगू अन्य भाषाएं पढ़ाई के लिये उपलब्ध हैं। नौवीं से बारहवीं कक्षा तक ऐच्छिक विषय के रूप में विद्यार्थी संस्कृत पढ़ सकते हैं। कालिज के विद्यार्थी संस्कृत ऐच्छिक/वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं।

(2) संस्कृत के अध्यापकों का दर्जा 1- 12- 67 से बढ़ा कर अध्यापकों (प्रशिक्षण स्नातक) के बराबर कर दिया गया है स्कूल स्तर के लिए 1,696 पद संस्कृत अध्यापकों के स्वीकृत हैं। राजकीय कालिजों में संस्कृत प्रवक्ताओं के 100 पद स्वीकृत हैं।

(3) संस्कृत के उत्थान के लिए गुरुकुल/संस्कृत पाठशालाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ख) राज्य में कोई भी मान्यता प्राप्त/अनुदान प्राप्त संस्थान नहीं है जहां शास्त्री / ओ० टी० की कक्षाएं चल रही हों। अतः ऐसी किसी संस्था को अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सोनीपत में संस्कृत ओ०टी० की कक्षाएं चलाने की मामला विचाराधीन है।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, 1,696 पद संस्कृत अध्यापकों के और 100 पद संस्कृत लैक्चरर के सैक्शंड हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन में से कितने खाली पड़े हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: जो 100 प्रवक्ताओं के पद हैं, वे पूरे भरे हुए हैं। जो 1696 संस्कृत अध्यापकों के पद हैं उन के अगेन्सट 96 खाली पड़े हैं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूं कि जो गुरुकुल और संस्कृत पाठशालाएं राज्य में चल रही हैं, उन में कितना कितना अनुदान दिया जा रहा है और क्या वे सैल्फ सफिशिएंट हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अब तक इन गुरुकुलों और पाठशालाओं में से 26 संस्थायें छाँटी हुई थी जिन को 1 लाख 56

हजार रुपये का अनुदान 6 हजार प्रति संस्था के हिसाब से दिया जाता था। इस बार हमने सिस्टम को बदला है और यह किया है कि जिस संस्था में 200 से ज्यादा विद्यार्थी हैं उनको 25,000 रुपये, जिन में 200 से कम और 100 से ज्यादा हैं, उनको 15,000 रुपये और जिन में 100 से कम विद्यार्थी हैं उनको 8,000 रुपया अनुदान राशि दी जाएगी।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: माननीय मन्त्री महोदया ने बताया है कि वे ओ० टी० की कक्षाएं सोनीपत में खोलने जा रही हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने बच्चे शास्त्री की परीक्षा एक साल में पास कर लेते हैं और क्या ओ०टी० की क्लासिज जींद में भी खोलने का विचार है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: इस वर्ष सोनीपत में खोलने जा रहें हैं। वास्तव में मैंने एक सवाल के जवाब में कुछ दिन पहले बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम 'डाइट' है, जिसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीच्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। उसके तहत बारह के बारह जिलों को कवर किया जाएगा लेकिन इस वर्ष 1989-90 में 6 और जिलों में ये संस्थाएं खोलने जा रहें हैं जिन में जींद भी शामिल है और वहां पर ओ० टी० की क्लासिज भी खोली जाएंगी।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मेरा प्रश्न यह है कि कितने बच्चे हर साल संस्कृत की परीक्षा हरियाणा राज्य में पास करते हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: शास्त्री की परीक्षा हर साल पास करने वाला ब्यौरा तो दिया नहीं जा सकता क्योंकि हर वर्ष विद्यार्थियों की संख्या में फर्क होता है। लेकिन शास्त्री को ओ० टी० करवाने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि 12 जिलों में जो 'डाइट' स्कीम खोली जाएंगी उसके तहत कुछ जिलों में संस्कृत की ओ० टी० खोली जाएगी।

J.B.T. Training Centres in the State

***819 Shri Ranjit Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of training centres for J.B.T. functioning in the State at present togetherwith the places of location district-wise, separately ; and

(b) whether it is a fact that any J.B.T. Centre, out of those as referred to in part (a) above, have been closed; if so, the reasons thereof ?

खाद्य तथा पूति मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) जिला गुड़गांव में फिरोजपुर नमक में जे० बी० टी० के लिए केवल एक प्रशिक्षण केन्द्र है।

(ख) नहीं।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि फिरोजपुर नमक के इलावा जहां और जे०बी०टी० की ट्रेनिंग प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का जो विचार था, वे क्यों नहीं खुले? उनके लिए जगह नहीं मिली या कोई और कारण था?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले सवाल के जवाब में अभी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम 'डाइट' है जिसके तहत बारह के बारह जिलों में जे० बी० टी० क्लासिज खोलने की बात थी। इसलिए जे० बी० टी० के प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के जो पहले प्रस्ताव आये थे उनको स्थगित कर दिया गया था लेकिन अब उन में से तीन प्रस्ताव मान लिए गए हैं जिन के मुताबिक भिवानी जिले में लोहारू तथा मिट्टीमुरेरा और औड़ा जिला सिरसा में जे० बी० टी० केन्द्र खुलेगा।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने बताया है कि कुछ जिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 'डाइट' स्कीम के तहत आ गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो जे० बी० टी० सैन्टर्ज पहले प्रपोजड थे, क्या वे इस स्कीम के तहत वहीं खोले जा रहें हैं या कहीं और जगह खोले जा रहें हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अलग अलग जगहें छांटी गई हैं। कुछ जगहें तो वही हैं जहां के लिए प्रस्ताव आए थे और कुछ जगहें अलग हैं। यह योजना अलग से बनी है और यह जरूरी नहीं

है कि जहां के लिए प्रस्ताव आए थे, वही पर डाइट खुलेंगे 'डाइट' 'के लिए बिल्कुल अलग जगह तय की गई है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि रोहतक जिले में जे० बी० टी० क्लास कहां खुलेगी क्योंकि इन्होंने बताया है कि हर जिले में यह क्लास खुलेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज: रोहतक जिले में प्रौपर मदीना में खुलेगी।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जिला महेंद्रगढ़ में कहां खोली जा रही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: महेंद्रगढ़ प्रौपर में खुल रही है।

डा० बृज मोहन: मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जिला अम्बाला में भी कहीं जे० बी० टी० क्लासिज खोलने का विचार है? इसके इलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जे० बी० टी० की ऐडमिशन के लिए इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, ये संस्थान मोहरा जिला अम्बाला में खुल रही है। जहां तक ऐडमिशन के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने के क्राइटेरिये का सवाल है उसके लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार न्यूनतम योग्यता 10+2 की है। लेकिन हमारे यहाँ राज्य में जो जे० बी० टी० संस्थाएं हैं उनमें पहले मैट्रिक के बेसिज पर ऐडमिशन?

होती थी, इसलिए हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा है कि 10+2 की कंडीशन न लगाएं क्योंकि अगर कैंडीडेट्स अवेलेवल न हों तो मैट्रिक के आधार पर ऐडमिशन के लिए बच्चे ले लिए जाएं। उसके लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी है।

श्री रणजीत सिंह: मन्त्री जी ने बताया है कि नए दो जे० बी० टी० सैन्टर मिट्टी सुरेरा और ओड़ा में खुलने हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये इस सेशन में स्टार्ट हो जाएंगे या कब होंगे?

श्रीमती सूषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, इस सेशन की तो गारन्टी नहीं दे सकती क्योंकि यह फैसला अभी कल ही हुआ है कि मिट्टीसुरेरा तथा ओड़ा में जे० बी० टी० सैन्टर्ज खोले जाएं। इसके लिए राशि का प्रावधान भी करना है क्योंकि बजट में इसकी व्यवस्था नहीं की गई — है। पहले हमने यह तय कर लिया था कि केवल 'डाइट' स्कीम के ही सैन्टर खोलने हैं। अब चूंकि इनके लिए अलग से प्रावधान आया है, इसलिए बजट में प्रावधान होने के बाद ही ये सैन्टर खुलेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्य को यह गारन्टी नहीं दे सकती कि ये इसी सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिले में जे० बी० टी० टीचर्ज की सबसे ज्यादा कमी है 1 उसको मद्देनजर रखते हुए सिरसा जिले में मिट्टीसुरेरा तथा ओड़ा में जो जे० बी० टी० की संस्थाएं खुलनी हैं, क्या इनमें खास कर सिरसा जिला के बच्चों

को ही दाखिल करने पर विचार करेंगी ताकि यहां टीचर्ज की कमी को पूरा किया जा सके ।

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा उचित है । वास्तव में मिट्टीसुरेरा और ओड़ा में जे० बी० टी० की कक्षाएं खोलने का निर्णय ही इसी आधार पर किया गया था कि सिरसा जिले के टीचर्ज बहुत कम मिलते हैं । लेकिन इसका एक लीगल और कास्टीज्युशनल पहलू है कि हम उसकी ऐडमिशन को जिला सिरसा के लिए किस तरह रिस्ट्रिक्ट करें । इसके लिए हम एक नीति बना रहे हैं, और अगर वह बन गई तो जरूर उसका फायदा होगा । जिस तरह आई० टी० आई० में ऐडमिशन डिस्ट्रिक्टवाइज होती है, इकट्टा ऐडमिशन का नोटिस निकलता है और यह कह दिया जाता है कि जिस जिले को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, आप दें । तो इसी तरह की हम एक स्कीम बना रहे हैं कि 'डाइट' के तहत जितनी ऐडमिशन होनी है और राज्य की जितनी ऐडमिशन होनी है, उन सब का इकट्टा नोटिस निकालें और यह कह दिया जाए कि आप एक ही जिले को प्राथमिकता दे सकते हैं । इस तरह की नीति बनाने से सिरसा जिले के ही लोग वहां के लिए ज्यादा एप्लाई करेंगे ।

श्री भागमल: स्पीकर साहब, पिछली बार सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि नारायणगढ़ में जे० बी० टी० का एक सैन्टर खुलेगा । क्या यह बात अभी भी जेरेगौर है और वहां पर सैन्टर खोला जाएगा या नहीं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, यह बात सामने आई थी लेकिन जब डाइट की स्कीम आ गई तो नारायणगढ़ वाला प्रस्ताव रह कर दिया गया।

श्री भगवान सहाय रावत: क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि हर जिले में जे० बी० टी० ट्रेनिंग सैन्टर कहां खोलने जा रहे हैं और फरीदाबाद में कहां पर खुलेगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्पीकर साहब,

1. अम्बाला में मोहरा,
2. भिवानी में बिरडी कलां,
3. जीन्द में इक्क्स,
4. महैन्द्रगढ़ में महैन्द्रगढ़ प्रौपर
5. रोहतक में मदीना तथा
6. सिरसा में डींग

नामक स्थानों पर अगले साल जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार है। गुडगांव में गुडगांव और सोनीपत में बीसवां मील में डाइट्स शीघ्र ही स्थापित किए जा रहे हैं। फरीदाबाद को अगले वर्ष में नहीं लिया जा रहा है इसलिए यह सैन्टर वहां पर अगले वर्ष नहीं खुलेगा। कुरुक्षेत्र, करनाल तथा हिसार जिले भी अगले साल नहीं लिए जा रहे हैं।

डा० बृज मोहन: स्पीकर साहब, ऐडमिशन के लिए क्या मैरिट ही क्राईटीरिया होगा या और भी कोई कसिड्रेशन होगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज: ऐडमिशन केवल मैरिट के आधार पर होगा। पहले हमने फिरोजपुर नमक संस्थान में ऐडमिशन के लिए इंटरव्यू के नंबर रख दिए थे, मेवात एरिया के नंबर रख दिए थे लेकिन हाइकोर्ट ने इसको स्ट्राईक-डाउन कर दिया। इसलिए केवल मैरिट के आधार पर ही ऐडमिशनज होगी।

श्री उदय भान: मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि फरीदाबाद में जे० बी० टी० सेंटर अगले साल नहीं खोला जा रहा है? जिलों में क्या ओ० टी० व जे० बी० टी० के दोनों ही सेंटर खोले जाएंगे या कोई एक?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, ऐसी बात नहीं है कि फरीदाबाद में खुलेगा ही नहीं। फेजिज में ये सैटर्ज खोले जा रहे हैं। दो इस साल भले और छ अगले साल में आ रहे हैं और उससे अगले वर्ष में बाकी चारों जिले ले लिए जाएंगे। जहां तक ओ० टी० और जे० बी० टी० सेंटर खोलने की बात है, ये दोनों ही डाइट की स्कीम के तहत खोले जाएंगे। यह नहीं है कि जहां जे० के० टी० है, वहां ओ० टी० नहीं होगी। दोनों की दोनों ट्रेनिंगज इस स्कीम के तहत चलेंगी।

चौधरी किशन सिंह सांगवान: स्पीकर साहब, सिरसा जिले में जे० बी० टी० टीचर्ज की पहले ही शॉर्टेज है और सुनने

में आ रहा है कि रोहतक और सोनीपत जिलों में कई हजार टीचर्स अगले साल रिटायर हो रहे हैं। इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है कि टीचर्स की शॉर्टेज न रहे?

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्पीकर साहब, पता नहीं यह धारणा किस बात पर आधारित हो गई है, जगह-जगह से मैं यह बात सुन रही हूँ कि हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा रिटायर हो रहे हैं, यह गलत बात है। इतने ज्यादा टीचर्स बिल्कुल रिटायर नहीं हो रहे। इस अफवाह को मद्देनजर रखते हुए मैंने इन्फर्मेशन मंगवाई है। रोहतक जिले में अगले साल 1990-91 में केवल 17 टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, 1991-92 में केवल 65 टीचर्स रिटायर होंगे, 1992-93 में केवल 64 टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, 1993-94 में केवल 100 टीचर्स रिटायर हो रहे हैं और 1994-95 में केवल 112 टीचर्स रिटायर हो रहे हैं। सोनीपत जिले की इन्फर्मेशन अभी मेरे पास आई नहीं है, आठ जिलों की आ गई है। पता नहीं यह अफवाह कहां से चल पड़ी है कि जे० बी० टी० टीचर्स लम्प सम में रिटायर हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है और जितने टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, वे 'डाइट' से आने वाले जो जे०बी०टी० हैं, उनसे पूरे हो जाएंगे।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में लोहारू में जे० बी० टी० सेंटर खोलने का आश्वासन दिया गया था और मुख्य मंत्री जी ने वहां पर पब्लिक मीटिंग में भी इसे खोलने का आश्वासन दिया था, तो क्या वह आश्वासन असत्य है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य पहले सदन में आ जाते तो उन्हें यह सवाल करने की आवश्यकता ही न होती क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि राज्य की स्कीम के तहत तीन जगहों पर क्रमशः लोहारू जिला निवानी में, मिट्टीसुरेरा तथा ओड़ा जिला सिरसा में जे० बी० टी० की पृथक कक्षाएं खोलना विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मुख्य मन्त्री जी की घोषणा के मुताबिक लोहारू में राज्य की स्कीम के तहत एक सैन्टर दे रहें हैं और इसके इलावा 'डाइट' के तहत जो भिवानी जिला में जगह सिलैक्ट की है, वह बिरडीकलां है जो लोहारू सब-डिवीजन का ही गांव है। इस तरह इनको एक की बजाये दो सैन्टर मिल रहें हैं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने जींद जिले में इक्कस में शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात बताई है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस जगह को चुनने का क्या क्राइटेरिया था और क्या लड़के और लड़कियों के अलग-अलग यूनिट्स होंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज: जिला शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को केवल 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करवानी होती है। इसलिए कोई बीच का गांव चुन लिया जाता है जो सब लोगों को केटर करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अगर कोई इंटीरियर का गांव हो तो बेहतर है, इसलिए यह चुना गया। इसके लिए कोई खास मोटिव ऐट्रिव्यूट

नहीं किया जा सकता। 'इक्कस' नाम भी बहुत अच्छा सा लगता है जैसे कोई ग्रीक नाम हो।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, यह नहीं बताया गया कि क्या लड़के और लड़कियों के अलग-अलग यूनिट्स होंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज: बिल्कुल अलग-अलग होंगे। होस्टल्ज भी लड़के और लड़कियों के अलग-अलग होंगे। ये बोर्डिंग और रैजिडेशियल इंस्टीच्यूट्स होंगे। इसलिए होस्टल्ज भी लड़के और लड़कियों के अलग-अलग होंगे।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: ये जो 'डाइट' स्कीम के तहत इंस्टीच्यूट्स होंगी, इनमें जे० बी० टी० और ओ० टी० के अलावा और क्या-क्या पढ़ाया जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्पीकर साहब, इनमें हमारी अडल्ट एजुकेशन की जो स्कीम्ज चल रही हैं और नौन फॉर्मल एजुकेशन की स्कीम्ज चल रही हैं, उनके इंस्ट्रक्टरों को भी ट्रेनिंग देने की बात है। इसके इलावा एक और स्कीम है जिसका नाम है 'डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट', जिसे डी० आर० यू० भी कहते हैं, यह यूनिट भी 'डाइट' में काम करेगी। यह यूनिट किताबें या इस तरह की चीजें तय करेगी जो अडल्ट्स को पढ़ाई जा सकें। यह लिट्रेचर वहां के आस पास के गांवों की जो जरूरियात हैं, उनको देखते हुए, वहां के लिट्रेसी रेट को देखते हुए तैयार होगा। इस

तरह 'डाइट' में डी० आर० यूनिट का काम भी चलेगा और अडल्ट एजूकेशन तथा नौन फॉर्मल एजूकेशन के लिए इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग का काम भी होगा। इसके इलावा जो टीचर्स आलरेडी सर्विस में हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने का काम 'डाइट' में होगा।

श्री क्रांति प्रकाश भल्ला: स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि मोरनी हित्व में मुख्य मन्त्री जी ने जो जे० बी० टी० सैन्टर खोलने का हुक्म दिया था, क्या उसको बन्द तो नहीं कर रहे हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: बिल्कुल बन्द नहीं कर रहे हैं, जरूर खुलेगा। इसके लिए ऐडमीशन हो गई है और वह धारला में खुलेगा।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री श्री खुरशीद अहमद को एक रैजोल्युशन दिया गया था जिसमें 20 एकड़ जमीन 'डाइट' खोलने के लिए क्योड़क गांव द्वारा देने की बात कही गई थी। क्या मन्त्री महोदया इस गांव में यह इंस्टीच्यूट खोलने का आश्वासन देंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं विचार करने का आश्वासन तो जरूर दे सकती हूँ क्योंकि कुरुक्षेत्र में यह अभी खुलना है। अगर आपका प्रस्ताव आया हुआ है तो उस पर विचार कर लेंगे और अगर क्योड़क में खुल सकेगा तो वहां खोल देंगे 1

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, हमारे होडल में अम्बेदकर भवन में 25 कमरे तैयार हैं। इसके इलावा लैटरिन बाथरूम और चार दीवारी भी बन रहें हैं। यह भवन हम इनको देने के लिए तैयार हैं। क्या मन्त्री महोदया वहां जे० बी० टी० और ओ० टी० की क्लासिज शुरू करने की कृपा करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्पीकर साहब, यह अम्बेदकर भवन में नहीं खुलेगा। 'डाइट' का पूरा पैसा सैन्टर की तरफ से आ रहा है। हम अम्बेदकर भवन की बिल्डिंग उसके लिए क्यों लेगे? हम नई बिल्डिंग बनायेगे। इसके लिए आप कोई जगह बता दीजिए, उस पर विचार कर लेंगे क्योंकि इसके लिए सारा पैसा सैन्टर ने देना है। फरीदाबाद में भी अभी जगह तय करनी बाकी है, इसलिए आप कोई जगह बता दे।

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर साहब, यदि 10 एकड़ जमीन देने का सवाल है तो काछवा गांव, जिला करनाल, में हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। क्या वहां पर जे० बी० टी० और ओ० टी० के सैन्टर खोले जाएंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने अभी कुरुक्षेत्र के साथ करनाल के बारे में भी बताया है। करनाल के एम० एल० ए० अपने अपने प्रस्ताव दे दें, हम विचार कर लेंगे।

Villages Affected by Rain/Floods

***865 Shri Bhag Mal ; Will the Minister for**

Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of villages affected by the rains/floods in Sadhaura Constituency in Distt. Ambala during the year 1988-89 ;

(b) the steps so far takerm or proposed to be takerm by the Government to save the villages as referred above from rains/ floods ; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bandhs/Studs to save the villages as referred to in part (a) above and the Agricultural land from rains/floods, if so, the details thereof togetherwith the names of the villages where the Bandhs/Studs are likely to be constructed ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Sirmgh):

(a), (b) & (c) : A statement is laid on the Table of the House. and

Statement

(a) 16

(b) Repair and restoration of demaged flood protection works has started and 10 new schemes have been got approved by the Haryana State Flood Control Board.

(c) Yes. 10 new schemes have been got approved by the Haryana State Flood Control Board. The detail is—

		Cost (Rs. in Lacs)
1.	Protection to village Nanheri from the tributary of Sadhaura Nadi.	2.62
2.	Protection to village Sangrani from River Roon.	1.53
3.	Protection of village Jhiriwala from Sukron Nadi.	1.28
4.	Protection to village Doomwala from River Markanda.	2.63
5.	Protection to village Pammuwala from Sadhaura Nadi.	2.63
6.	Protection to village Islam Nagar (Harijan Basti) from Sadhaura Nadi.	2.10
7.	Protection to village Nawangaon from Sadhaura Nadi.	1.76
8.	Protection to village Pipliwala from Sudeni Nadi.	1.40
9.	Protection to village Dera Gurudwara from River Markanda.	0 . 66

10.	Protection to village Chamelmajri	3.00
-----	--------------------------------------	------

श्री भागमल: स्पीकर साहब, हमारे कुछ गांव जैसे छोटी रसौर, रणजीतपुर, मुजाफत, भाग सिंह और भवनौली ये बहुत बुरी तरह से फलड से इफैक्टिड हुए हैं। लोगों की बहुत सारी जमीन भी बरबाद हुई है और लोगों के मकानों का भी काफी नुकसान हुआ है। इन को बचाने के लिए अभी तक क्यों कोई प्रपोजल नहीं बनाई गई है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, पिछले फलड में जो सढौरा कांस्टौच्यूएंसी के गांव अफैक्ट हुए, उनकी लिस्ट केवल 16 गांव की है जो मैं इनको पढ़ कर सुना देता हूं। ये गांव हैं:

1. संग्रानी
2. छोटी रसौर
3. शाहपुर
4. हमीदपुर
5. चमेर माजरी
6. मांडू
7. सारवन
8. कनिपला

9. ननहैरी
10. नयागांव
11. पामुवाला
12. इस्लाम नगर
13. रामपुर रियान
14. झीरीवाला
15. डोमनवाला
16. कल्याणपुर

अगर इन 16 गांवों में से ही चौधरी साहब ने कोई गांव बोले हैं तो वे तो कवर हो गए। अगर इनके इलावा कोई गाद बोला तो वह मुझे बताएं कि कौन सा है?

श्री भागमल: स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीच्यूएंसी बहुत बड़ी है, छछरोली का इलाका बीच में आता है जगाधरी तहसील का भी आता है। इस लिस्ट में सिर्फ नारायणगढ़ तहसील की सढौरा कास्टीच्युएंसी के गांव दिखाए गए हैं। बाकी के जो गांव हैं, वे नहीं दिखाए गए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आपका सवाल ही सढौरा कांस्टीच्यूएंसी के बारे में है। आपने अपने सवाल के पार्ट (5) में पूछा है कि—

"the number of villages affected by the rains/foods in Sadhaura constituency in District Ambala during the year 1988-89."

श्री भागमल: मैंने जो नींव बताएं हैं वे सढौरा कांस्टीच्यूएंसी के ही हैं। छोटी रसौर मारकंडा से अफैक्टड है और मुजाफत भाग सिंह सोम नदी से अफैक्टड हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप इनको इन गांवों के बारे में लिख कर भेज दें तो बेहतर रहेंगा। क्योंकि हर एक गांव के बारे में बताना मुश्किल है।

श्री भागमल: अच्छा जी।

श्री रतनलाल कटारिया: स्पीकर साहब, कुरुक्षेत्र जिस्से की राजोंद कांस्टीच्यूएंसी के गांव जैसे लाल छप्पर, गुंथलाराव, सघाला-संघौली फलड से अफैक्टड हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, इस सवाल का मेन सवाल से क्या सम्बन्ध है? वह तो सढौरा कांस्टीच्यूएंसी के बारे में हैं इसका जवाब देना वैसे तो मुमकिन नहीं हैं लेकिन अगर माननीय मस्ती को कुछ जबानी याद हो तो वे बता सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, अगर माननीय सदस्य जिला कुरुक्षेत्र की स्कीमों के बारे में पूछना चाहते हैं जो फलड कंट्रोल बोर्ड से ऐप्रूव हुई हैं तो मैं वे सारी पढ़ कर सुना देता हूं। वे इस प्रकार हैं—

1. Protection of village Ratta Khera on right edge of River Ghaggar.
2. Protecting village Abadi and Agriculture land opposite RD 16500 R/ Markanda Disty. from river Markanda.
3. Protecting village Abadi and Markanda Disty. opposite RD 8000 to 9000 Markanda Disty. from River Markanda.
4. Protecting Abadi and Agricultural land opposite RD 5000 to 5500/R of Markanda Disty. from river Markanda.
5. Protection of Right Marginal Bund Markanda in reach RD 4000-5000 D/S Nassi Bund from river Markanda.
6. Constructing inlets at RD 97,400 and RD 1,09,500 of Ghaggar Bund.
7. Protecting right marginal bund Markanda in reach RD 5300 to 6200 from river Markanda.
8. Protecting of village Kassar from R/Ghaggar.
9. Providing earthen spurs to protect Ghaggar bund between RD 100- 153 from R;Ghaggar.
10. Providing protection to village Bagwali from river Yamuna.
11. Providing protection to village Jathlana, Kherara Lal Chhapra from river Yamana.

12. Providing protection to village Gumthala from river Yamuna
13. Providing protection to village Sandhali Sandhala from river Yamuna.
14. Providing protection to village Chagaon from river Yamuna.
15. Constructing Pump House at RD 7100 of Kassan Drain.

डा० बृजमोहन: स्पीकर साहब, फलड के कारण पिछली दफा भी कुछ किसानों की फसलें तबाह हो गईं और जमीन ऐसी हो गई कि अब भी उस पर कोई फसल बीजना मुमकिन नहीं है। क्या ऐसे किसानों को कम्पनसेशन देने का और इस फसल के न होने के बारे में सरकार ने कुछ सोचा ?

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, हरियाणा प्रान्त में बहुत फलड आया। परन्तु सरकार ने मोटरें वगैरा लगा कर, पम्प लगा कर, ड्रेन चलवाकर जितना फलड अफैक्टिड एरिया था, मा-सिवाये पयू एकडज आफलैडं के, खाली कर दिया और लोगों ने बाकायदा अषाढी की फसल उसमें काश्त की हुई है। कौन सा एरिया ऐसा रह गया है जिस की तरफ आप ध्यान दिलाना चाहते हैं? खराब होने की तो कोई बात ही नहीं, फसल जरूर खराब हुई लेकिन लोगों ने दोबारा जमीन बो ली है और अषाढी की फसल उसमें खड़ी है।

डा० बृज मोहन: स्पीकर साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक फसल नहीं बीज सके हैं, क्योंकि जमीन में गड्डे पड़े हुए हैं और जमीन भी बह गई है। मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: फलड अफैक्टिड एरियाज में फसल का कम्पनसेशन तो सरकार की तरफ से दिया नहीं जाता, कहां गड्डे हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, डा. साहब उस गांव का नाम बता दें, मैं दिखलवा लूंगा कि उनकी क्या प्रॉब्लम है।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, बिन माईनर्ज या डिस्ट्रिब्यूटरीज में सफिशिएंट ड्रेनेज अरेंजमेंट के न होने से बाढ़ का प्रकोप बढ़ा है, क्या उन डिस्ट्रिब्यूटरीज और माईनर्ज में इन स्कीमों के इलावा सफिशिएंट साईफन प्रोवाइड किए जाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह: इस समय जहां महसूस किया गया, वहां कार्यवाही की गई। फतेहाबाद के इलाके में अगर साईफन होता तो पानी जल्दी निकल सकता था। इसलिए जहां-जहां हम महसूस करेंगे इस तकलीफ को दूर करेंगे।

ई० जगपाल सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि नारायणगढ़ कांस्टीच्युएंसी के जो फलड प्रोटैक्शन वर्क्स फलड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में ऐप्रूब हुए हैं, वे कौन-कौन से हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, टोटल 57 स्कीमें हैं, उनको नरेट करने में काफी समय लगेगा। इसलिए आप उनकी नकल मेरे से चाहें तो ले लेना।

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर साहब, काछवा ड्रेन के अन्दर महकमा जंगलात के कुछ दरख्त पड़े हुए हैं। क्या सरकार उनको उठाने का कष्ट करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मैंने सदन को पहले भी एक सवाल के जवाब में सूचित किया था कि वन विभाग के मंत्री जी से मेरी बात हो गई है और हमारी ड्रेन्ज में जो दरख्त आ गए हैं, उनकी सफाई करेंगे और जून तक सफाई करके, खुदवाई करके उन्हें तैयार कर देंगे।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो फलड कंट्रोल की स्कीमें ऐप्रूव हुई हैं, क्या उनके लिए फलड अफैक्टिड एरियाज के लोगों को भी कंसल्ट किया गया था।

श्री वीरेन्द्र सिंह: जब फलड आया तो हमारा डिपार्टमेंट काम में लगा हुआ था, उसको जमीन के चप्पे-चप्पे का पता है कि कहां पानी ठहरता है, कहां ज्यादा फलड की मार हुई है उसके हिसाब से स्कीमें तैयार की हैं।

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री रिसाल सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Sugar Mills, Bhuna

***715. Comrade Harpal Singh :** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a Sugar Mills at Bhuna ; and

(b) if so, the steps so far taken for setting up the aforesaid Mills' ?

Minister of State for Cooperation (Dr. Raghuvir Singh) :

(a) Yes sir.

(b) Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

A society under name of the Bhuna Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhuna registered on 17-11-81. The said Society moved an application to the State Government in November, 1982 for setting up a Cooperative Sugar Mills at Bhuna, District Hisar. The State Government recommended and forwarded that application to the Government of India on 3-2-83 for issue of letter of intent for this purpose. The said application was rejected by the Government of India on 2-6-87 with the remarks that a fresh application in view of the new guidelines issued for the 7th Five Year Plan in December,

1986 may be moved.

A flesh application was moved by the Society on 16-10-87 and the same was recommended and forwarded by the State Government to the Government of India on 14-12-87. A meeting of the Screening Committee of the Government of India was held on 19-2-88 for consideration of the application of new sugar mills including Bhuna Sugar Mills.

The Government of India issued the letter of intent for setting up of new Cooperative Sugar Mills at Bhuna on 31-8-88 bearing No. LI :500 (1988) for 2500 TCD plant. The letter of intent is valid for three years.

After the issue of letter of intent by Government of India on 31-8-88, the following steps have been taken for the setting up of the Cooperative Sugar Mills at Bhuna :-

1. Site has been selected for the mills.
2. Gazette Notification for acquisition of land for mills have been issued on 31-1-89.
3. Collection of Share Capital from the cane-growers of the area is being done for enrolling them as members.
4. The State Government has released Rs. 20 Lacs as Share Capital to the mills and more funds will be placed at the disposal of the mills during current financial year for the purchase of machinery and payment of compensation to the growers.
5. Project Report and loan application has been

submitted to the financing institutions and the appraisal of the project has been made by the Industrial Finance Corporation of India being the leader of consortium.

6. "No Objection Certificate" has been obtained from Railway and Coal India.

7. The agreement for placing the orders for the purchase of plant and machinery is likely to be executed during March, 89.

The foundation stone of the mills will be laid by the Hon'ble Chief Minister, Haryana on 12-3-89.

श्री भगवान सहाय रावत: स्पीकर साहब, हरियाणा में वर्तमान जितनी चीनी मिलें हैं, उनमें किसानों की मांग को देखते हुए क्या गन्ना पीड़ने की क्षमता को बढ़ाने का विचार सरकार कर रही है, यदि हां तो पलवल शुगर मिल के बारे में क्या प्रस्ताव है?

डा० रघुबीर सिंह: अभी इसके बारे में कोई कसीड्रेशन नहीं है।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, बीस महीने के अन्दर-अन्दर तीन नई मिलें लगा दी गई हैं। (तालियां)

तारांकित प्रश्न संख्या 754

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री देवी दास, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Change in the Name of Haryana Agricultural University

***791. Shri Vasu Dev Sharma, Shri Hira Nand Arya**

: Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to change the name of Haryana Agricultural University as Chaudhri Charan Singh Agricultural University; if so, the time by which it is likely to be changed ?

Agriculture Minister (Shri Tayyab Hussain) ; Yes, Sir, There is a proposal to change the name of Haryana Agricultural University as Chaudhary Charan Singh University of Agriculture. The change would be effected as soon as the approval of the Central Government is received

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस विषय में हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कब लिखा और केन्द्रीय सरकार का इस विषय पर क्या जवाब आया तथा इस मामले में अब किस स्टेज पर कार्यवाही चल रही है?

श्री तैयब हुसैन: हमने 5 टैलिग्राम भेजे और बहुत से खतूत भेजे। आखिर जनवरी में मरकजी सरकार की तरफ से यह जवाब आया कि इसका यही नाम रखा जाए और नाम न बदला जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, अगर केन्द्रीय सरकार ने इन्कार कर दिया है तो क्या इस यूनिवर्सिटी का नाम

बदला नहीं जा सकता? अगर बदला जा सकता है तो उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है?

श्री तंयब हुसैन: आर्य साहब, आप चिन्ता न करें, छः महीने की बात है, उसके बाद नाम बदल लेना।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने कहा कि छः महीने के बाद बदल लेना, यह इनका नेक ख्याल है, लेकिन अगर यह सरकार इमानदारी से चाहती हैं कि इसका नाम किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाए और अगर सैन्ट्रल गवर्नमेंट एंटी-फारमर है तो यह सरकार उस नाम को बदलने में क्या कदम उठाएगी?

श्री तैयब हुसैन: मोहतरिम स्पीकर साहब, इन्होंने ठीक फरमाया कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा रहें हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं और इसी वजह से यह बात कही गई थी। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके इंडिविजुवल्ज पर नाम हैं, जैसे जे० बी० पन्त, परमार, जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी, जीवाजी, गुरु घासी, कामराज, मदर ट्रेसो, श्रीमती पदमावती और भी बहुत सी अन्य यूनिवर्सिटीज। स्पीकर साहब, असल में यह तो हरियाणा के साथ भेदभाव की एक और मिसाल है। यह साफ जाहिर है कि केन्द्रीय सरकार की जो पौलिसी है वह एंटीफारमर है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्होंने बजा फरमाया और मुझे भी इम्प्रूव कर दिया कि देश में कई सदपुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालय हैं और केन्द्रीय सरकार को चौधरी चरण सिंह के नाम पर ऐतराज हुआ। उनके ऐतराज करने पर क्या, आपने या आपके मन्त्री परिषद ने या मुख्य मन्त्री जी ने कोई केन्द्रीय सरकार से प्रोटैस्ट लोज किया?

श्री तैयब हुसैन: स्पीकर साहब, आप सब ने पढ़ा होगा कि हमारे सदन के नेता ने बहुत मजबूती के साथ इन सब बातों को इलैवोरेट करते हुए यह बात वहां कही। सरदार बूटा सिंह को इस बारे में बाकायदा खतूत लिखे गये हैं और अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई है लेकिन जिस तरह से और भेदभाव हमारे साथ किये गये हैं, यह भी उसकी एक और मिसाल है कि इतनी जायज बात को मानने में भी केन्द्रीय सरकार को परेशानी हो रही है। असल में बात तो सीधी है कि हमारे संविधान के बनाने वालों ने हमारा संविधान तो फ़ैड्रल और यूनिटरी टाईप का बनाया था लेकिन ये फ़ैड्रल स्ट्रक्चर के आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करने की कोशिश करके पावर्ज को सैन्टेरलाइज करने की बात की जा रही है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरे लायक दोस्त ने इस बारे में काफी रोशनी डाली है और कहा है कि सरदार बूटा सिंह को लिखा गया और बहुत दलायल दी गई। मैं जानना चाहता हूँ

कि सरदार बूटा सिंह को किस भाषा में लिखा गया और किस भाषा में उनका जवाब आया?

श्री तैयब हुसैन: इसकी खतोखितावत अंग्रेजी में हुई थी।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि किस प्रकार से केन्द्रीय सरकार की हरियाणा और विशेषकर किसानों के प्रति दुर्व्यवहार की नीति है। जब उन्होंने दूसरे महान व्यक्तियों के नाम से यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं तो हरियाणा के लिए उन्होंने क्या कारण दिये हैं। क्या आउट राईटली रिजैक्ट कर दिया है कि हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर न बदला जाए?

श्री तैयब हुसैन: कारण क्या है, उन्होंने तो बे-तुकी बात कही है कि साहब, एच० ए० यू० का नाम इन्टरनैशल तौर पर मशहूर है, इसलिए इस नाम को नहीं बदला जा सकता। यह कोई दलील नहीं है जो उन्होंने दी है।

Anganwari in Hodel Block

***780 Shri Udai Bhan :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open "Anganwari" in Hodel Block ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened ?

समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री नर सिंह ढांडा):

(क) जी हां।

(ख) आई० सी० डी० एस० स्कीम के तहत होडल ब्लौक को आगामी 3 वर्षों में चालू कर दिया जायेगा। राज्य सरकार के पास राशि की कमी होने के कारण आई० सी० डी० एस० स्कीम का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जाना है तथा उन जिलों को जिन में यह स्कीम 50 प्रतिशत से भी ज्यादा स्वीकृत ब्लौकों में नहीं चल रही हैं, को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री उदय भान: मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि होडल ब्लौक जो जिले का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ ब्लौक है, वहां इस स्कीम को चालू करने में तीन साल क्यों लगेंगे, जबकि फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल में यह स्कीम चालू है? इस स्कीम को लागू करने का मापदण्ड क्या है? क्या वहां पर आगनबाड़ी केन्द्र जल्दी ही खोलने की कृपा करेंगे?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने ठीक बात कही है। हरियाणा में 105 ब्लौक्स हैं और हरियाणा सरकार ने उन सब में इस स्कीम को चलाने की सैक्शन दी है ताकि हर जगह आगनबाड़ी सैटर खोला जाए लेकिन धन-राशि की कमी होने के कारण सब ब्लौक्स में इन्हें एकदम खोलना कठिन है।

स्टेट में 71 ब्लॉक्स में से 37 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनका खर्चा सैन्ट्रल सरकार देती है और जो न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है उसके तहत हरियाणा सरकार सारे के सारे 71 ब्लॉक्स का खर्चा देती है। इस तरह से कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, जैसे करनाल और कुरुक्षेत्र, जिनमें 50 परसेंट आगनवाड़ी केन्द्र अभी नहीं खुले हैं और वहां भी बैकवर्ड एरियाज हैं। जब कभी भी ब्लॉक्स खोले जाएंगे तो उन सभी जगहों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन में अभी तक ये केन्द्र नहीं खुले हैं।

श्री रत्न लाल कटारिया: स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि आगनबाड़ी के जो सैन्टर्ज चल रहे हैं उनके बारे कुछ अनियमितताओं के मामले उनके नोटिस में लाए गए हैं यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है?

श्री नर सिंह ढांडा: कटारिया साहब ने बात ठीक पूछी है। कई बार ऐसे मामले नोटिस में आते हैं और उनको निपटाया भी जाता है। इस सरकार के आने के बाद कई आगनबाड़ी सैन्टर्ज की चौकिंग भी की गई है। चीफ मिनिस्टर के प्लार्इंग स्क्वैड ने भी चौकिंग की है। जैसा-जैसा कसूर पाया जाता है उसके मुताबिक दण्ड भी दिया जाता है। कटारिया साहब के नोटिस में अगर कोई स्पैशल केस हो तो वे बता दें, हम उसके बारे में इन्क्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं।

डा० बृजमोहन: स्पीकर साहब, इन्होंने आगनबाड़ी केन्द्र में न्यूट्रिशन प्रोग्राम की बात कही है। क्या मन्त्री जी विस्तार से बतायेगे कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या है?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, यह खाद्य सामग्री की बात है। इस आई० सी० डी० एस० स्कीम के तहत खाद्य सामग्री पर ज्यादा पैसा खर्च होता है। और इस सारे पैसे को हरियाणा सरकार खर्च करती है। इसके तहत बच्चों को, प्रैग्नेट मदर्ज को और छः साल के बच्चों को जितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है, वह खुराक उन्हें दी जाती है।

ई० जगपाल सिंह चौधरी: क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि आगनबाड़ी वर्कर की क्या पे है। पता लगा है कि उनकी पे सौ रुपये महीना है जो बहुत कम है। क्या इसे बढ़ाया जाएगा?

श्री नर सिंह ढांडा: आगनबाड़ी वर्कर की कोई पे नहीं है, उसको सोशल वर्कर की तरह से आनरेरियम दिया जाता है। मैट्रिकुलेट को 275 रुपये और नॉन मैट्रिकुलेट को 225 रुपये आनरेरियम दिया जाता है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जिन-जिन गांवों में आगनबाड़ी सैन्टर्ज चल रहे हैं क्या वहां पर उस गांव की कोई कमेटी बनी हुई है? अगर है तो उसके कौन-कौन से मैम्बर हैं?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, जहां आगनबाड़ी सैन्टर खोला जाता है, उस सैन्टर में खास तौर पर उस कम्युनिटी की लड़की को लिया जाता है और इस में सब से पहले प्रैफरेंस विधावा, शडूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लास को दी जाती है। इसके इलावा उस गांव का सरपंच और जो एरिया की सुपरवाइजर है, ये दोनों बैठकर सलैक्शन करते हैं।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आगनबाड़ी सैन्टर में जो खाद्य सामग्री दी जाती है, वह पर-हैड कितने पैसे की दी जाती है?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, 95 पैसे की प्रति औरत को और 65 पैसे की प्रति बच्चे को दी जाती है। इस में से 10 पैसे फ्यूल का और 10 पैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा काट लिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान: स्पीकर साहब, यह संयोग की बात है कि मन्त्री जी का और मेरा ब्लॉक एक ही है लेकिन वहां पर आजकल आगनबाड़ी सैन्टर शुरू नहीं हुआ है। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अपने क्षेत्र में या ब्लॉक में यह सैन्टर कम खुलवायेंगे?

श्री नर सिंह ढांडा: मैंने पहले भी बताया है कि करनाल और कुरुक्षेत्र दोनों ही जगहों में 50 परसेंट से कम सैन्टर्स खोले गये हैं और अगर मदान साहब कहते हैं तो कैथल में जरूर खोलने की कोशिश करेंगे।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, जितने आगनवाडी सैन्टर हरियाणा में चल रहें हैं, उन में सुना जाता है कि यह सामान काफी मिस-यूज होता है। क्या इस सम्बन्ध में कोई कम्प्लेंट सरकार के नोटिस में आई है, अगर आई है तो क्या ऐक्शन लिया गया है?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, आंगनवाडी सैन्टर के बारे में पिछले दिनों काफी लापरवाही रही है और लोगों के ध्यान में यह आया है कि जो ये सैन्टर खोले गए हैं, वहां की लड़कियां या औरतें उस माल को गुल कर जाती हैं। दरअसल बात ऐसी नहीं है। आप किसी भी सैण्टर को चौक कर लें। किसी के बारे में अगर कोई स्पैसिफिक कम्प्लेंट है तो लिख कर दे, कार्यवाही की जाएगी। जहां से कोई शिकायत आती है उस पर कार्यवाही की जाती है और ऐक्शन लिया जाता **कामरेड हरपाल सिंह:** स्पीकर साहब, इन्होंने बताया है कि आगनवाडी वर्कर को आनरेरियम दिया जाता है। मैं मानता हूं कि बच्चों की सम्भाल और प्रैगनेट लेडी की सम्भाल सब से टफ काम है। मैं जानना चाहता हूं कि जो आनरेरियम दिया जाता है, क्या इसको बढ़ाने का कोई विचार है?

श्री नर सिंह ढांडा: ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, जितने भी आगनवाडी सैन्टर्ज हैं उनके बारे में आम शिकायत है कि वहां घपले होते

हैए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गांव लेवल पर कोई कमेटी बनाई गई है, अगर नहीं तो क्या बनाने का विचार है ताकि इस किस्म की बातें न हों?

श्री नर सिंह ढांडा: अध्यक्ष महोदय, मैं भागीराम जी के इलाके में घूमा हूँ और उस एरिया को भी मैंने देखा है। मैंने भागीराम जी को कहा था कि कोई सैन्टर ऐसा पकड़वा दो जहां घपला हुआ है। दूसरी बात जो भागी राम जी ने कही है उसके बारे में पोजीशन यह है कि वहां के जो बेनिफिशरीज हैं, प्रेगनैट औरतें हैं, उनमें से 50 परसेंट बेनिफिशरीज, महिला मंडल और गांव का सरपंच बैठकर इस मामले को देखते हैं और तय करते हैं।

श्री क्रांति प्रकाश भल्ला: स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इलाके की जो ग्राम पंचायत है या पंच व सरपंच हैं, क्या ये आगनवाड़ी के इन्चार्ज से उसकी फंक्शनिंग के बारे में पूछ सकते हैं कि वहां पर कितना माल आया और कितना खर्च हुआ ताकि जो अनियमितताएं होती हैं उनको चौक किया जा सके?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, मैंने पहले ही बताया है कि वहाँ के सरपंच भी उसको देख सकते हैं लेकिन उस गाँव की जो बेनिफिशरीज औरतें हैं, वे ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकती हैं। इसके अलावा गाँव की ही एक लड़की उस सैन्टर की वर्कर होती है ओर हैल्पर होती है। गाँव में पार्टीबाजी की वजह से

कोई सरपंच किसी किस्म की ज्यादाती न करे, इसलिए बैनिफिशरीज और महिला मण्डल को इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन दी गई है।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि औरतों और बच्चों को खाद्य सामग्री देने के लिए जो राशि निर्धारित की गई है, उसमें से 10 पैसे फ्यूल के और 10 पैसे ट्रांसपोर्टेशन के काट लिए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो बाकी राशि यानी 75 पैसे औरत के लिए और 45 पैसे बच्चे के लिए बचती है, उसमें कितनी न्यूट्रिशन सामग्री ये उनको दे रहे हैं और क्या यह उनके स्वास्थ्य के लिए काफी है?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, छः साल तक के बच्चे के लिए कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है, उसके मुताबिक पैसा रखा गया है और उसके अनुसार डायट दी जाती है।

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सोनीपत जिले में किसी अधिकारी के खिलाफ लिखित रूप में शिकायत आई है, अगर आई है तो उसके ऊपर क्या ऐक्शन लिया गया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि लिखित रूप में कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, मैं पहले कह चुका हूँ कि शिकायत आती रहती है और उन पर मुनासिब कार्यवाही होती

रहती है। मुझे हर बात का पता नहीं, अगर ये किसी केस के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा।

श्री किशन सिंह सांगवान: स्पीकर साहब सोनीपत जिले के एक अधिकारी जो प्रोग्राम आफिसर है, के खिलाफ लिखित रूप में व्यक्तिगत तौर पर मन्त्री जी के पास शिकायत आई थी और मैंने खुद उसका खरीदा हुआ माल एस० डी० एम० गोहाना से सील करवाया था और वह सब-स्टैंडर्ड पाया गया था। इसके बारे में मन्त्री जी के पास क्या रिपोर्ट है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?'

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, जो शिकायत आई थी उसके बारे में कार्यवाही चल रही है। विजिलेंस डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है कि उसकी पूरी तहकी-कात करके रिपोर्ट दें।

श्री हीरानंद आर्य: क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि 40-45 पैसे में बच्चे को जो सामग्री देते हैं, उसमें कौन कौन सी आइटम्ज आती हैं?

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, उसमें चना, पंजीरी, गुड़, चावल और कई छोटे-छोटे आइटम्ज हैं। अगर ये पूरा ब्यौरा मांगेंगे तो मैं लिखकर भेज दूंगा।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने जो ये चीजें बताई हैं, क्या ये 45 पैसे में सारी अवेलेबल हो जाती हैं?

श्री अध्यक्ष: ये जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें एक दिन में ही देते हैं। कभी कोई चीज देते हैं, कभी कोई चीज।

श्री नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, आपने ठीक ही कहा है कि कभी कोई चीज दी जाती है, कभी कोई चीज दी जाती है इस डार्ड में दूध भी शामिल है।

श्री कुलबीर सिंह मलिक: क्या मन्त्री जी बतायेगे कि मन्त्री बनने के बाद इन्होंने अपने घर में भी आगनवाड़ी केन्द्र खोल दिया है और अपनी कैलोरीज बढ़ा ली हैं? (हंसी)

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री राम विलास शर्मा): स्पीकर साहब, मलिक साहब ने एक बाजिव प्रश्न पूछा है क्योंकि यह ढांडा साहब से संबंधित है, इसलिए ये संकोचवश उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें बता दूँ कि वह सैंटर खोल दिया है और जल्दी ही इनको शुभ समाचार मिलेगा। (हंसी)

श्री किशन सिंह सांगवान: स्पीकर साहब, मैंने एक स्पेशल इंस्टांस बताया था कि गोहाना में कुछ माल जो खरीदा गया था, वह सील करवाया गया था और वह सब-स्टैंडर्ड पाया गया था। क्या मल्टी जी के नोटिस में है कि जो माल कमेटी ने सबस्टैंडर्ड डिक्लेयर किया था, उसको दोबारा इशू कर दिया गया है? अगर यह बात ठीक है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री नर सिंह ढांडा: जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर बाकायदा डी० सी० और एस० डी० एम० से दोबारा इन्कवायरी

करवाई गई। इसके बाद फिर रिपोर्ट आई जिस पर मामला विजिलैस को भेज दिया गया था और वह इसकी पूरी तहकीकात कर रहे हैं।

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, इस किस्म की स्कीमें गवर्नमेंट आफ इंडिया की हैं, आप खुद ही सोच लीजिए कि किस तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया लोगों को बहलाने के लिए बहकाने के लिए, पंजीरी भी 45 पैसे में गुड भी 45 पैसे में और दूध का गिलास भी 45 पैसे में दे रही है। स्पीकर साहब, एक दिन एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा था कि जो इंदिरा आवास योजना है, वह आवास योजना नहीं बल्कि हरिजन बनवास योजना है। दूर-दूर एक-एक कमरे के छोटे छोटे क्वार्टर बनवा दिये जिन में न तो कोई हरिजन भाई जाता है और न कोई बात है। इस किस्म की बहुत सी स्कीमें, जिनका कोई लाभ नहीं हो रहा है, केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए, गुमराह करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने चला रखी हैं।

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन आवर का समय चूंकि बाकी है, इसलिए मैं दौबारा उन मैम्बर साहिबान को काल अपौन करूंगा जो पहले हाउस में हाजिर नहीं थे ताकि वे अपना सवाल पुट कर सकें।

तारांकित प्रश्न संश 773 तथा 775

ये प्रश्न पूछे नहीं गए क्योंकि माननीय सदस्य श्री योगेश चन्द शर्मा तथा श्री जय सिंह राणा, क्रमशः इस समय भी सदन में उपस्थित नहीं थे।

Posts of Teachers and Lecturers

***748. Shri Bhagwan Sahai Rawat ;** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of posts of teachers and lecturers lying vacant in the Primary, Middle, High and Senior Secondary Schools in the State as on 31-12-88 together with the period since when these posts are lying vacant; and

(b) the steps if any taken or proposed to be taken to filling up these posts ?

खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): ब्योरा सदन के पटल पर रखा जाता है।

ब्योरा

(ए) प्राईमरी/मिडल/उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक, विद्यालयों में नियुक्त अध्यापक एवं प्राध्यापकों के कुल रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:—

31 - 12- 88	1-	1- 7- 88	1- 4-88	1- 1-88
की स्थिति	10-88 से	से	से	से पूर्व
अनुसार				

746	625	448	361	609
-----	-----	-----	-----	-----

(बी) नियमित रूप से पदों को लोक सेवा आयोग/एस० एस० एस० बोर्ड के माध्यम से भरने के पग उठाए गये हैं।

श्री भगवान सहाय रावत: स्पीकर साहब, सरकार ने कुछ टीचर्स की सिलैक्शन की थीं लेकिन उन पर कोटै की स्टे की वजह से या दूसरे कारणों से जो काफी स्थान खाली पड़े हैं, पार्टिकुलरली जे० बी० टी० टीचर्स के, उनको कब तक भर दिया जाएगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष: बहन जी, आपको माईक काफी नीचे करना पड़ता है। मैं आपका कद तो बढ़ा नहीं सकता लेकिन कल से माईक नीचा करवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत न हो। (हंसी)

श्रीमती सुषमा स्वराज: बहुत शुक्रिया। माईक नीचे करवा दीजिए और अगर माईक ठीक नहीं हो सकता हो तो नीचे चौकी रखवा दीजिए जिससे कद बढ़ सकता है। (हंसी) अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जिस तरह से वैंकैसीज का सवाल पूछते हैं, इससे लगता है कि सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। मैं बताना चाहती हूँ कि जो स्टेटमेंट हमने पटल पर रखी है, उससे यह पता चलता है कि साढ़े 48 हजार सैक्शनड पोस्ट्स के खिलाफ केवल 746 रिक्तियाँ हैं जो डेढ़ परसेंट के करीब आती हैं। यह इतना धड़ा महकमा है और साढ़े 48 हजार के अगेन्सट 746 वकैसीज अगर

खाली पड़ी हैं तो यह कोई अलारमिंग सिचुएशन नहीं है। ये वकैंसीज तो रिटायरमेंट से, डैथ से और प्रमोशन आदि से हो सकती हैं। जहां तक पदों को भरने का सवाल है, हमने आलरेडी एस० एस० एस० बोर्ड और एच० पी० एस० को रिक्वीजीशन भेजी हुई है। जो हमारे पास रिक्तमैडेशन आ रही हैं, उनके मुताबिक लगा रहें हैं। आगे जैसे जैसे रिक्तमैडेशन आती जाएगी हम लगाते जाएंगे लेकिन सिचुएशन इतनी अलारमिश नहीं है।

श्री भगवान सहाय रावत: स्पीकर साहब, मेरे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं जहां जे० बी० टी० टीचर्स एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं लेकिन कोर्ट से या यहां एप्रोच करके उन्होंने स्टे ले लिया है। दूसरी तरफ बोर्ड से ड्राईंग टीचर हिन्दी टीचर वगैरा की सिलैक्शन हो चुकी है, लेकिन जब तक स्टे है तब तक उनकी अप्वायंटमेंट नहीं हो सकती। वे पोस्ट्स चाहें थोड़ी ही क्यों न हो, जब तक इस क्रिटिकल और कम्प्लीकेटिड प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई कमेटी बना कर गम्भीरता से विचार नहीं किया जायेगा और इन पदों को जल्दी नहीं भरा जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। कोई व्यवस्था करके इनको जल्दी भरना हमारे हित में होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जहां तक एक जिले से दूसरे जिले में जाने का सवाल है, जे० बी० टी० की पोस्ट्स डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट की पोस्ट्स होती हैं और डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट का मतलब है कि ने वहीं के वहीं बदले जा सकते हैं। अगर वे एक जिले से दूसरे

जिले में जाना चाहते हैं तो उनके सीनियारिटी च करनी पड़ती है, इसलिए हम बहुत ज्यादा उसको एनकरेज नहीं करते। जैसा कि मैंने पहले एक सवाल के जवाब में बताया है कि हमारे यहां क्षेत्रीय असंतुलन पहले ही बहुत है। सिरसा' भिवानी तथा उस तरफ हमें टीचर मिलते नहीं। रोहतक और सोनीपत के टीचर वहां जाकर लग जाते हैं जो फिर वापिस आना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के असन्तुलन को हम बढ़ावा देना नहीं चाहते। जहां तक एस. एस एस बोर्ड का सवाल है, ड्राईंग टीचर्स के पद बाकायदा रिक्त होकर आ गये हैं और, वे लगाये जा रहे हैं। जैसे-जैसे एस. एस. एस बोर्ड से रिक्त स्थान आ रही हैं, वैसे-वैसे हम उन पदों को भर रहे हैं। कोर्ट में कोई ऐसे केसिज पेंडिंग नहीं है और सिचुएशन भी अलार्मिंग नहीं है।

श्री रणजीत सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने बताया है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए जे० बी० टी० टीचर्स को अपनी सीनियारिटी लूज करनी होती है और कई दफा हाई कोर्ट भी इन्टरवीन कर देता है, जैसे एस० एस० एस० बोर्ड की सिलैक्शन के बाद हैड मास्टर्स के केस में हो गया था। जे०बी०टी० टीचर्स की पोस्ट्स इतनी हैं कि हर एम० एल० ए० को, जब वह गांव में जाता है, दिक्कत आती है कि इतनी पोस्ट खाली है, और ट्रांसफर वाली भी दिक्कत थी। तो मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि जो जे० बी० टी० के नए सैन्टर खुल रहे हैं,

क्या उनमें सीट्स बढ़ाने का कोई प्रोवीजन है ताकि इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जितनी स्ट्रैन्थ की वैकेंसीज हैं उनसे ज्यादा तो अन-एम्पलायड जे०बी० टी० टीचर्स हमारे पास अभी भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास जे० बी० टी० अन-एम्पलायड नहीं हैं, या उनकी कमी है। जो जे०बी०टी० के सैन्टर खोल रहें हैं, ये तो रैकरिंग डिमांड को मीट आउट करने के लिए है। इस समय ऐसी पोजीशन नहीं है कि हमारे पास जे०बी० टी० अवेलेबल नहीं हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, जैसा कि अभी बताया गया है कि देहात में आम तौर पर स्थान खाली पड़े रहते हैं और अध्यापकों की कमी है। क्या मन्त्री महोदया के नोटिस में है कि कस्बों और शहरों में बच्चों की स्ट्रैन्थ ज्यादा दिखा करके टीचर्स की ज्यादा वैकेंसीज क्रिएट कर दी जाती हैं? इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या सरकार कोई एन्क्वारी करके कोई मुनासिब कदम उठाने को तैयार है ताकि इस किस्म का असंतुलन खत्म हो?

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने यह बात ठीक कही है। वास्तव में ऐसा देखने में आया है कि शहरों में टीचर्स सरप्लस हैं और गावों में टीचर्स की कमी है। हमने जो स्थानान्तरण नीति अब बनानी है, उसमें यह तय किया है

कि हम पूरी तरह से इसको रैशनेलाइज करेंगे कि कहां पर टीचर्ज सरप्लस हैं और कहां पर उनकी कमी है। इस बार की स्थानान्तरण नीति में इस पूरे रैशनैलाइजेशन के आधार पर तबादले किए जाएंगे ताकि हर जगह टीचर्ज की कमी को पूरा किया जाए और जहां पर सरप्लस टीचर्ज हैं वहां से वे हटाए जाएं।

तारांकित प्रश्न संख्या 882

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री रिसाल सिंह, इस समय भी सदन में उपस्थित नहीं थे।

Arrears of Sales Tax

***754. Shri Devi Dass :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to State the number of Firms and Factories in District Sonipat alongwith their names, addresses and amount against whom payment of Sales Tax more than **rupees** one lakh is outstanding as **on** 31st December, 1988, separately ?

Excise and Taxation Minister, (Rao Ram Narain) : There are 24 firms in Sonipat Distt. against whom arrear of more than one lakh is outstanding on 31-12-88. The total amount involved is as under :-

H. G. S. T.	Rs. 1, 06, 30, 085/-
C. S. T.	Rs. 7, 87, 19, 150/-
	Rs. 8, 93, 49, 235/-

The details regarding names of the dealers are

attached at Annexure 'A'.

ANNEXURE

List of Arrears Pending more than One Lacs in
Sonipat District as on 31-12-1988.

Sr. No.	Name of the firm/dealer	Amount of	
		H.G.S.T.	C.S.T.
1.	M/s Anil Steel (P) Ltd; Kundli.	5,71,483/-	
2.	M/s Hilton Rubber Ltd; Rai	5,10,859/-	5,00,000/-
3.	M/s Haryana Steel Sales Murthal	8,15,180/-	
4.	M/s Vikash Steel Rolling Mill	1,02,865/-	
5.	M/s Top Steel Bahalgarh.	1,00,000/-	
6.	M/s Sonipat Iron & Rolling Mills, Sonipat.	1,14,782/-	
7.	M/s Haryana Sheet Glass Ltd. Rai.		41,79,359/-
8.	M/s Elastochem (P) Ltd.	3,46,911/-	6,65,416/-
9.	M/s Ajay Oil Industries, Sonipat.	3,09,565/-	
10.	M/s Suraj Steel Ltd; Sonipat.	1,35,302/-	
11.	M/s H.E.T. Ltd; J/R Rd. Sonipat.	2,55,912/-	27,395/-
12.	M/s E.C.E. Ind . Ltd. Sonipat.		5,00,000/-

13.	M/s Shri Mahabir See Trading Co. Ganaur.		4,72,500/-
14.	M/s D F.S . C. Sonipat.	5,56,889/-	49,980/-
15.	M/s HAFED, Sonipat.	5,21,661/-	
16.	M/s Abhey Indst., Sonipat.	20,009/-	1,97,586/-
17.	M/s Ashoka Motor Store, G/R Sonipat.	11,63,467/-	7,664/-
18.	M/s Organo Rubber (P) Ltd.	1,91,320/-	4,69,032/-
19	M/s Kundra Shoe P. Ltd; Kundli.		3.34,004/-
20.	M/s B.S.T. Ltd; Ganaur.	13,52,281/-	6,53,39,621
21.	M/s Haryana Electro Steel, Larsoli.	19,14,429/-	35,17,800/-
22.	M/s Depro Food Ltd; Rai.	3,63,887/-	11,38,832/-
23.	M/s Haryana Rubber Ind . Pvt . Ltd; Bahalgarh .	3,54,981/-	13,19,961/-
24.	M/s Rama Automobilies, Sonipat.	9,28,302/-	
	Total :—	1,06,30,085/-	7,87,19,150/-

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिन लोगों के खिलाफ यह सेल्ज टैक्स बकाया है, उनके खिलाफ इसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और यह एरियर्ज उनके खिलाफ कितने अर्से से बकाया हैं?

राव राम नारायण: स्पीकर साहब, जो एक से सात नम्बर पर स्टेटमेंट में केसिज हैं, ये इन्स्टालमेंट के केसिज हैं। डिफरेंट अथारिटीज ने इन्स्टालमेंट फिक्स कर रखी हैं और इसे वे पे कर रहे हैं। जो केसिज 8 से 12 सीरियल नम्बर पर हैं, इन में एपेलेट कोर्ट से स्टे मिले हुए हैं। सीरियल नं० 13 पर जो केस है, उस में लैंड रैवेन्यू ऐक्ट के तहत, प्रोपर्टी अटैच की गई है और एरियर्ज औफ लैंड रैवेन्यू की तरह इससे राशि वसूल की जा रही है। सीरियल नं० 14 तथा 15 के केस में गवर्नमेंट की तरफ से स्टे है क्योंकि यह वसूली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स/ एजेंसी के अगेंस्ट है जो कि फूड एण्ड सप्लायज डिपार्टमेंट और हैफेड है। इन केसिज में अभी फैसला नहीं हुआ है। कुछ केसिज बहुत पुराने हो गए हैं जो रिकवरेबल नहीं हैं। उन में राइट ओफ के लिए लिखा जा रहा है। सीरियल नं० 18 तथा 19 पर जो केसिज हैं, इन केसिज में फर्मज में लोक-आउट हो गया है और ये बन्द हो गई हैं। कुछ फर्मज लिक्विडेशन में चली गई हैं जैसे सीरियल नम्बर 22 तथा 23 हैं। तो ये सब इस किस्म के मामले हैं जिन में यह अमाउन्ट पेंडिंग है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान स्टेटमेंट में दिए गए केसिज की तरफ दिलाता हूँ। सीरियल नं० 2 पर मैसर्ज हिल्टन, रबड़ लिमिटेड, राई है। इसके अगेंस्ट पांच लाख ग्यारह हजार के करीब हरियाणा सैल्ज टैक्स का बकाया है और पांच लाख सैन्ट्रल सेल्ल टैक्स का है। इसी तरह से

सीरियल नं० 21 पर फर्म है मैसर्ज हरियाणा इलैक्ट्रो स्टील, लरसौली जिसने रिकार्ड बीट किया है। इस फर्म के अगेन्स्ट 19,14,429 रुपये हरियाणा जनरल सेल्ल टैक्स के तथा 35,17,800 रुपया सैन्ट्रल सेल्स टैक्स का बकाया है। इसी तरह सीरियल नं० 20 पर मैसर्ज बी० एस० टी० लिमिटेड, गन्नौर का नाम है इस के अगेन्स्ट 13,52,281 रुपया हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स का और 6,53,39,621 रुपया सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स का बकाया है। मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इन फर्मज के अगेन्स्ट, जिन्होंने करोड़ों रुपया देना है, क्या कार्यवाही की जा रही है?

राव राम नारायण: जहां तक मैसर्ज बी० एस० टी० लिमिटेड गन्नौर का सम्बन्ध है, इसके अगेन्स्ट लेटैस्ट पोजीशन के अनुसार 6,66,91,902 रुपया बकाया है। यह फर्म सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी और इसको स्टे आर्डर मिला हुआ था और यह स्टे आर्डर 4-5- 1988 को बेकेट हुआ है। इसके बाद सारी डिमांडज क्रिएट की गई हैं और अटैचमेंट की प्रोसीडिंगज उनके खिलाफ जारी की जा रही हैं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Extension of Building of Schools for Boys and Girls

126, Shri Raghu Yadav : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for the extension of the

building of boys and girls schools in Rewari ; and

(b) if so, the time by which the extension of building of the said schools are likely to be completed ?

खाद्य तथा पूर्ति मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) जी हां, प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) समय सीमा देना संभव नहीं कि कब तक इन विद्यालयों के भवनो में विस्तार कार्य पूरा हो जायगा।

Number of Vehicles with Transport Department

127. Shri Raghu Yadav : Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the total number of vehicles with the Transport Department of the State at present; and

(b) the expenditure incurred on the Petrol/diesel and maintenance of the said vehicles, separately, during the period from 1-1-88 to 31-12-1988?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह):

(क) 3392 (3 1- 1 2- 1988 को)

(ख)

(1) पेट्रोल 11.47 (रुपये लाख)

(2) डिजल 2988.46 (रुपये लाख)

(3) रख-रखाव 2199.87 (रुपये लाख)

Vehicles Hired by Cooperative Department

136 Shri Raghu Yadav : Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state whether any vehicles have been hired by the Cooperative Department for the recovery of loan during the period from 1st December, 1988 to 31st December, 1988 ; if so, the districtwise number thereof togetherwith the details of amount of loan recovered in each district and the amount paid on account of hiring of vehicles ?

सहकारिता राज्य मंत्री (डा० रघुवीर सिंह): सहकारिता विभाग द्वारा 1-12- 1988 से 31- 12- 88 के समय में कोई भी गाड़ी किराये पर नहीं ली गई हैं।

Regional Post-Graduate and Research Centre, Rewari

137 Shri Raghu Yadav : Will the Minister for Education be pleased to state the stage of the construction of the building of Regional Post-Graduate and Research Centre, Rewari togetherwith the time by which it is likely to be completed ?

खाद्य तथा पूति मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को रिजनल पोस्ट ग्रेजुएट सैन्टर, रिवाड़ी के लिये 30 एकड़ भूमि स्थानान्तरण करने हैंतु लिखा गया है। निर्माण कार्य भूमि अभिग्रहण होने के पश्चात आरम्भ हो सकेगा।

**Funds Allocated/Expenditure Incurred on
urniture/Stationery Articles in Primary Schools**

133. **Shri Hira Nand Arya** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the yearwise total funds allocated for the purchase of Furniture and Stationery articles for the Primary Schools in the State during the period from 1980-81 to 1988-89 togetherwith the amount spent therefor, separately ; and

(b) whether any complaint has been received by the Government regarding bogus admission is being shown in the register of enrolment of Schools, located in rural areas to maintain the posts of teachers; if so, the action taken thereon ?

खाद्य तथा पूति मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) फर्नीचर की खरीद हैंतु वर्षवार धनराशि का प्रावधान तथा उसका उपयोग:—

शिक्षकों के लिए फर्नीचर

वर्ष	राशि का प्रावधान	उपयोग की गई राशि
1980-81	7,000	7,000
1981-82	65,000	65,000
1982-83	13,500	13,500
1983-84	11,26,500	11,26,500

1984-85	3,00,000	3,00,000
1985-86	5,10,000	5,10,000
1986-87	5,00,000	5,00,000
1987-88		
1988-89	1,00,000 वर्ष के अन्त तक उपयोग कर लिया जाएगा।	

प्राथमिक पाठशालाओं के लिए लेखन सामग्री खरीदने हेतु अलग से कोई धन राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। फिर भी खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों को निदेशालय द्वारा उनकी आवश्यकता अनुसार केवल रजिस्टर तथा छपी सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

Class I and II Posts in Colleges/Schools

134. Shri Hira Nand Arya : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of sanctioned posts of Class I and II in the College/School, separately in the Education Department

(b) the total number of posts as referred to in part (a) above which are lying vacant as on 1-2-89 ; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to fill up the vacancies as referred to in para (b) above ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के स्वीकृत पदों की संख्या इस प्रकार है:-

	विद्यालय	महाविद्यालय
श्रेणी-1	2	39
श्रेणी-2	131	1940
	133	1979

(ख) उपरोक्त पदों में से 1-2-89 को निम्नलिखित रिक्तियां थी:-

	विद्यालय	महाविद्यालय
श्रेणी-1	शून्य	4
श्रेणी-2	19	273

(ग) विद्यालयों में उपरोक्त 19 रिक्त पदों में से दो के समक्ष नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं। 8

रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। शेष 9 रिक्तियों को सीधी भती द्वारा भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम में विज्ञापन दिया हुआ है।

महाविद्यालयों में उपरोक्त श्रेणी-1 के चार रिक्त पद सरकार के आदेश दिनांक 27-2- 89 द्वारा भरे जा चुके हैं। श्रेणी-2 के 241 पद हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित करवाए जा चुके हैं तथा शेष पदों को शीघ्र भर लिया जाएगा।

Possession of Surplus Land

135. Shri Durga Dutt Attri : Will the Minister for Revenue be pleased to state the districtwise number of persons to whom the possession of land declared surplus under the ceiling on Land Holdings Act, 1972 has been given togetherwith area of land allotted during the period from 1-8-88 to-date, separately ?

Revenue Minister (Shri Suraj Bhan) : The requisite information, as at Annexure 'A' is placed on the floor of the House.

ANNEXURE 'A'

Statement showing the district-wise surplus area as declared under the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972, utilized under the Haryana Utilisation of Surplus and other Areas Scheme, 1976 and possessions delivered thereof. Area shown in Hectares

S. No.	Name of district	Area allotted w.e.f. 1-8-88 to-date		Possessions delivered w.e.f. 1-8-88	of surplus area to the beneficiaries todate.
		Area	No. of beneficiaries		
1	Ambala				
2.	Kurukshetra				
3.	Karnal				
4.	Sonipat				
5.	Faridabad				
6.	Gurgaon				
7.	Narnaul				
8.	Rohtak				
9.	Bhiwani				
10.	Jind	11	14	6	9
11.	Hisar			23	23
12.	Sirsa			3	5
	Total	11	14	32	37

X-Ray Plant of Rohtak Civil Hospital

140. Shri Jai Narain Khundia : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the X-Ray plant of Civil Hospital, Rohtak is lying out of order ;

(b) if the reply to part (a) above is in affirmative, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said plant ; and

(c) if so, the time by which it is likely to be repaired ?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क) जी हां ।

(ख) सामान्य अस्पताल, रोहतक का एक्सरे प्लांट कन्डेमनेशन बोर्ड द्वारा नाकारा घोषित कर दिया गया है और वहां एक नया एक्सरे प्लांट उपलब्ध करवाया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sub-Tehsil at Kalanaur

141 Shri Jai Narain Khundia : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Kalanaur as Sub-tehsil ; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to materialize 7

राजस्व मन्त्री (श्री सूरज भान): (क) तथा (ख): जिलों का पुनर्गठन करने के लिए सरकार को परामर्श देने हैंतु सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। ऐसे मामले अब उक्त कमेटी के विचाराधीन हैं और इसकी रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है।

Purchase of New Buses

142. Shri Jai Narain Khundia : Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to purchase new buses for Haryana Roadways during the year 1989-90; if so, the number there of ?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह): वार्षिक योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के अन्तर्गत 587 बसें खरीदने का प्रस्ताव है। इनमें से 387 पुरानी बसों को बदलने हैंतु 200 बसों को वर्तमान बसों के बेड़े में बस सेवा में विस्तार के लिये खरीदा जाएगा। बसों की खराददारी वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर ही निर्भर है।

Opening of Ration Depots/Shops Under Cooperative Department

143. Shri Jai Narain Khundia : Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under

consideration of the Government at present to open new ration depots/shops under Co-operative Department for the supply of essential commodities in rural areas; and

(b) if so, the time by which the said depots/shops are likely to be opened togetherwith the number of such depots proposed to be opened in Kalanaur Constituency ?

सहकारिता राज्य मंत्री (डा० रघुबीर सिंह):

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

15-00 बजे ।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है । समालखा कस्बे के पास एक गांव है, वहां पर पानीपत से एक बारात गई

श्री अध्यक्ष: आपने यह नोटिस कब दिया था?

श्री मंगल सैन: आज ही दिया है ।

Mr. Speaker : It has not come to me. It must be in the office. **I** will consider it.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मैंने भी एक प्रिविलिज मोशन का नोटिस दिया हुआ है, उसके बारे में क्या निर्णय सिया गया है?

श्री अध्यक्ष: वह अंडर कंसीडरेशन है।

श्री रघु यादव: स्पीकर साहब, मैंने भी दो मार्च को एक हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए नोटिस दिया था, उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

श्री अध्यक्ष: इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: स्पीकर साहब, मेरी भी एक प्रिविलिज मोशन आपके पास पेंडिंग है, उसके बारे में क्या बना?

श्री अध्यक्ष: वह अंडर कंसीडरेशन है।

बिल—

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 1989

श्री अध्यक्ष: अब ऐक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 1989 को इन्ट्रोड्यूस करेंगे और उसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे। **श्री मंगल सैन:** स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ, यह मनी बिल है, जो आज ही हाउस

में इंद्रोडयूस हो रहा है, आज ही आप इसे कंसिडर करवाने का आदेश दे रहें हैं और आज ही यह पास होगा।

Mr. Speaker : I have granted the permission for that and **I have** the powers to do so.

श्री मंगल सैन: आप आल पावरफुल हैं, लेकिन अगर हमने इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो हमें इसे स्टडी करने के लिए पूरा टाइम मिलना चाहिए। अगर हमें प्रौपर अपचुंनिटी नहीं दी जाती तो यह बात ठीक नहीं है। सरकार इसे बाद में भी पास करवा सकती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: बिल तो आपके पास पहले पहुंच चुका है।

श्री मंगल सैन: हमारे पास पहले नहीं पहुंचा था, आज ही मिला है।

श्री अध्यक्ष: यह बिल पहली मार्च के गजट में पब्लिश हो चुका है और इसकी कापियां परसों मैम्बर्ज को डिस्ट्रिब्यूट हो चुकी हैं।

Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain) :
Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1989.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment)

Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैंने संसदीय कार्य मन्त्री से निवेदन करना है कि कृपया सदस्यों के साथ इतना अन्याय न किया करें, थोड़ी सी अपरच्युनिटी मैम्बर्ज को बिल वगैरा पढने के लिए दिया करें ताकि वे अपनी कंट्रीव्यूशन ठीक ढंग से कर सकें।

स्पीकर साहब, सेल्ज टैक्स के कारण हरियाणा भर में कई बार हड़तालें हुईं डैपुटेशन आए, ज्ञापन आए, मैमोरेण्डम आए और जो हमारे पहले कराधान मन्त्री महोदय थे, उन्होंने कई सुविधाएं दी थीं जिसकी प्रशंसा भी हुई। आदरणीय उप-मुख्य मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं और मेरी बात को बड़ी गौर से सुन रहे हैं। इन्होंने कई दफा कहा कि जब से यह सरकार आई है, इसने हर वर्ग के लोगों को सुविधाएं दी हैं। स्पीकर साहब, यह शोभा नहीं देता कि अनावश्यक और बे-मतलब, बिना किसी कारण के किसी वर्ग पर टैक्स लगा दिया जाए और वे आन्दोलन करने के लिए उत्तेजित हो जाएं। पहले ढाबे वालों पर टैक्स लगा दिया गया। मैंने सुझाव दिया था कि ऐसा मत कीजिए लेकिन इन्होंने टैक्स लगा दिया और फिर वह वापिस लेना पड़ा। इसके लिए इन्हें क्या मजा आया? अब ये जो ठेकेदारी करते थे उन पर टैक्स लगा

के हैं कि वे सेल्ज टैक्स दें। स्पीकर साहब, वे ठेकेदारी क्या करते हैं, बाजार से माल लाकर सरकार का काम कर दिया, अफसरों को राजी कर दिया, जो आज कल का सिस्टम है जिसे कांग्रेस ने ऐसा बिगाडा हुआ है वह आप भी समझते हैं, इस बारे में मैं कोई ज्यादा कहना नहीं चाहता आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा। आज तक तो यह होता था कि जो माल सप्लाई होता था उस पर टैक्स लगता था। माल पर तो वे सेल्स टैक्स देकर ही आते हैं। अब सर्विस पर सेल्ज टैक्स लगाया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई होगी, उच्चतम न्यायालय की बात माननी चाहिए। स्पीकर साहब, मैंने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मंगवाई है। इसमें तो मुझे 'सेल्ज' का शब्द मिला नहीं। जुडिशियल डिक्शनरी ढूँढी है जल्दी जल्दी में इसमें भी यह नहीं मिला है। अब हिन्दी की डिक्शनरी लिए बैठा हूँ, इसमें भी सेल्ज का अर्थ नहीं दिया गया है। लेकिन मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि दो आदमियों में लेन-देन। एक चीज बेचता है और दूसरा खरीदता है, उसे 'सेल' कहते हैं। यह तो सर्विस है, स्पीकर सर, कल फिर आप कहेंगे कि सड़क पर चलने के लिए भी टैक्स दीजिए। ठीक है लगा दीजिएगा क्योंकि आप कहेंगे कि आप सड़क इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर साहब, ऐसा नहीं करना चाहिए जब छोटे बड़े ठेकेदार, मुश्किल से रोटी कमाते हैं। गुप्ता जी, आप तो जानते हैं कि उनके साथ क्या बीतती है और आज कल तो धींगा मस्ती ठेकेदारी में भी शुरू हो गई है। जिसका लठ तगड़ा है, जिसकी पहुंच है, वह तो बिना काम किए पैसे का

बिल बनाने की कोशिश करता है। (विघ्न) कोशिश करते हैं कह स्ट्रा हूं, लिए हैं, नहीं कह रहा। मैं जानता हूं कि झज्जर में एक एस० डी० एम० की पिटाई हुई है, इस रिजीम में नहीं, कांग्रेस के रिजीम में, भजन लाल जी के टाइम में। गुप्ता जी, आपने तो हातमताई की कबर पर लात मारी है। आप तो तम्बुओं पर टैक्स लगा रहें हैं टैंट हाउसिज पर लगा दिया है, ब्याह शादियों पर या रिसैप्शन पर यदि कोई लाईट करेगा तो उस पर भी टैक्स लगा रहें हैं। स्पीकर साहब, यह बहुत ज्यादाती है। कम से कम इस सांझे मोर्चे की सरकार को यह काम नहीं करना चाहिए। मैं दल के नेता से बात कर रहा था कि अच्छा होता, किसी फोर्म पर इस पर विचार कर लिया जाता तो सदन में यह बात कहने की नौबत ही न आती। मेरी आत्मा तो नहीं मानती कि गलत बातको होने दिया जाए, इसलिए मेरा नम्रतापूर्वक राव साहब से कहना है कि आप तो बड़े सीजंड ब्यूरोक्रेट रहें हैं, अच्छे मन्त्री और बुजुर्ग हैं और हमारे जिले की शान हैं। हमारे जिले को तो बड़ा फख है क्योंकि आदरणीय मुख्य मन्त्री वहां के हैं, कराधान मन्त्री भी वहां के हैं लेकिन जब टैक्स लगता है तो झट से मेरे पास लोग झंडे ले कर आ जाएंगे क्योंकि मुर्दाबाद कहने की आदत हमने ही बिगाड़ी हुई है। आज— कल मजमा तो बड़ी जल्दी इकट्ठा हो जाता है। गुप्ता जी के गांव में उस दिन एक जलसा हुआ है, ये भी वहां से मुख्य मन्त्री रहें हैं। लोगों को पसीना आ रहा था कि वहां बहुत लोग इकट्ठे हो गए। स्पीकर साहब, अपोजीशन में लोग इकट्ठे हो जाया करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता था, लोग चटपटी बात सुनने

के लिए इकट्ठे हो जाया करते हैं। फिर ऐसे आदमी के जलसे में, जो बड़ा हैंकड़ वाला आदमी था, बड़ा एरोगेंट था, और गुप्ता जी आपके पड़ौस में रहने वाला है और जिसे मुख्य मन्त्री होते हुए भी हमारे नौजवान साथी ने हरा दिया है, लोगों का आना स्वाभाविक था क्योंकि वे देखना चाहते थे कि वह अब कैसी बात करता है, कैसी शकल है उसकी और किस अन्दाज में वह बात करता है। यह सब देखने के लिए लोग वहां इकट्ठे हो गए। इस में चिन्ता करने वाली कोई बात नहीं है। (विघ्न) स्पीकर साहब, ट्रेजरी बैचिज के भाई ठीक कह रहे हैं कि छः महीने के बाद मौका आने वाला है और लोग सब जानते हैं किस राज में लोग कोयले की दलाली किया करते थे, पुलिस वाले रिश्वत लिया करते थे और टैक्स वाले भी पैसा ले लिया करते थे। राव साहब को बड़ा नोटोरियस महकमा दे दिया गया है। स्पीकर साहब, ये कांग्रेसी भाई बड़े हजरत हैं, उन में से एक छछरोली से आए हुए भाई यहां बैठे भी हैं जो हमारी तरह अध-पचधे हैं। (हंसी) स्पीकर साहब, सैन्टर में तो हथियारों पर दलाली, हैलीकाप्टरों पर दलाली और पनडुबियों आदि पर भी दलाली ली जाती है। छः महीने के बाद इसका मजा लोग इन्हें चखा देंगे और यह बता देंगे कि वे किस के साथ वै। स्पीकर साहब, इस अवसर पर, इस बिल पर बोलते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राव साहब इस बिल को ड्रॉप कर दीजिए। एक बात स्पीकर साहब, मुझे आपसे यह भी कहनी है कि हमें तैयारी करने के लिए मौका दे दिया करें। जो लोग तैयार होकर आना चाहते हैं उन्हें समय मिलना चाहिए क्योंकि हमारी जो

कंट्रीब्यूशन है, वह भी सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। अगर हम यहां पर चुपचाप बैठे खर्राटे मारते रहें और कोई ठोस कंट्रीब्यूशन न करें, हां में हां मिलाते रहें तो लोग कहेंगे कि ये कैसे मैम्बर सदन में बैठे हैं। तो स्पीकर साहब, हाउस की डिगनिटी को मेंटेन करने के लिए यह लाजमी है कि मैम्बर्ज को तैयारी के लिए कुछ टाईम मिल जाए जिससे वे और अच्छी तरह से अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें। (विधन) तो स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह बिल ऐंटी ट्रेडर है, और मैं मन्त्री महोदय और मन्त्री परिषद से यह दरखास्त करूंगा कि इसको डैफर कर दिया जाए और इसको पास न करवाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष, महोदय मन्त्री महोदय ने हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 1989 आज कंसिडरेशन के लिए प्रस्तुत किया है। यहां जव आये तो इस बिल को पढ़ने की कोशिश की। मौटे तौर पर तो हमें सेल्ज टैक्स के बारे में जानकारी कम रहती है क्योंकि व्यवहारिक रूप में इस चीज का हमारे से वास्ता कम पड़ता है। लेकिन क्योंकि हम एक नागरिक हैं इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इस बिल में कुछेक बातें जो दी गई हैं, उनको ऐक्सप्लेन नहीं किया गया है। बहुत से प्रोवीजन्ज पीछे से लागू किये गये है, जैसे क्लोज 4 के नोट में लिखा गया है कि क्लोज (बी० बी) 19 अक्तूबर से इन्सर्ट की गई समझी जाएगी। इसी तरह से क्लोज 5 में लिखा है कि यह 5 मई,

1973 से लागू समझी जाएगी। इस तरह क्लोज 8 के द्वारा जो सैक्शन 14 में सब-सैक्शन (2) सबस्टीच्यूट किया जा रहा है, उसके लिए भी लिखा गया है कि वह 27 मई, 1971 से लागू होगा। इस प्रकार कई प्रोवीजन्ज को रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से लिया गया है। एम्ज एंड आक्ट्स में भी यह नहीं बताया गया कि ऐसा करने का क्या उद्देश्य है, यह रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से प्रोवीजन्ज क्यों लागू किये जा रहे हैं। जैसे डा० साहब ने कहा है कि बिना खरीद-फरोख्त के जो आइटम्ज हैं, जैसे सर्विस की आइटम्ज हैं, उन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के वक्त से एक ऐसी परम्परा चल चुकी है कि ठेकेदारी भी एक मैनेज्ड आदमी कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। प्रशासन में जो लोग हैंराफेरी कर सकते हैं, यह बात ठीक है कि उन से ही उनको लाभ होता है। स्पीकर साहब, मैं आपको नहर के महकमें की एक बात बताऊं। दो साल पहले की यह बात है। लिफ्ट इरीगेशन में सफाई के लिए 72 लाख रुपया लगा और वहां पर शायद ही कोई मिट्टी निकाली गई हो क्योंकि उस वक्त के शासन के जो लोग थे, उन से मिलकर यह दिखा दिया गया कि मिट्टी निकाल ली गई है और उसके लिए पेमेंट कर दी गई। उसका परिणाम यह हुआ कि मिट्टी तो वहीं की वहीं पड़ी रही। अब जब से चौधरी देवी लाल मुख्य मन्त्री बने हैं और चौधरी वीरेन्द्र सिंह आई० पी० एम० बने हैं, तब से कुछ काम करने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि यह जो अमेंडिंग बिल लाया गया है, यह इसलिए लाया गया है कि कुछ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला

हुआ है और इसके साथ साथ कांस्टीच्यूशन की 46वीं अमेंडमेंट को मद्देनजर रख कर भी लाया गया है क्योंकि कुछ फर्मज वाले अपना हैड आफिस तो कहीं और रखते थे और सेल्ज कहीं दूसरी जगह से करते थे। इस दृष्टि से तो मैं समझता हूं कि यह लाभकारी होगा लेकिन कई प्रोवीजन्ज को जो रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट दिया जा रहा है, यह बात समझ में नहो आती। इस में बहुत सी चीजें शामिल की गई हैं जैसे कंस्ट्रक्शन, फिटिंग, इम्प्रूवमेंट या रिपेयर आफ एनी बिल्डिंग, रोडज, वाल्ज, ब्रिज, एम्बैकमेंट, डैम या अदर इम्मूवेबल प्रापर्टी अगर इन पर भी टैक्स लगता है तो यह बात समझ में आने वाली नहीं है। इस बिल पर लैजिस्लेचर पार्टी में भी डिस्कशन नहीं हो पाई है, इस बिल पर थोरो डिस्कशन हो और यह सही ढंग से लाया जाए, इसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि इसे सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए ताकि जो उचित बात हो वह ही की जाए। वैसे तो होगा वही जो सदन के नेता कहेंगे, लेकिन अच्छा यह होगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए जिसमें इसके हर पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार हो सके और उसके बाद इसको हाउस में लाया जाए। हमने इस बिल को अभी ठीक से पढ़ा नहीं है, इसलिए यदि इसके बारे में हम इस वक्त राय देंगे तो वह न तो सदन के साथ न्याय की बात होगी और न ही हमारे लिए ठीक होगा। इसलिए यह जरूरी है कि इस पर पूरे सोच विचार के बाद जो न्यायोचित बात हो वह की जाए।

श्री कैलाश चन्द शर्मा (नारनौल): आदरणीय अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि इस बिल पर पूरी तरह से, गम्भीरता से विचार नहीं हुआ है। थोड़े से समय में जो हम इसको पढ़ पाये हैं, उससे हम महसूस करते हैं कि सेल्ज टैक्स का जो वास्तव में मूल अर्थ है, उस अर्थ को ठीक ढंग से इस बिल में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस बिल के उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में यह लिखा गया है कि संविधान के 46वें संशोधन से पूर्व ट्रांजैक्शन आफ वर्क्स कांटेक्ट, हायर परचेज तथा वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए अधिकारों के हस्तांतरण पर कोई बिक्री कर नहीं लग सकता था क्योंकि ये 'विक्रय' तथा 'क्रय' की परिभाषा में शामिल नहीं किये गये थे। इन पर टैक्स लगाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, जिन चीजों का 'क्रय' तथा 'विक्रय' होता ही नहीं है, उस पर टैक्स लगाने की बात और उन को सेल्ज टैक्स में शामिल करने की बात कैसे हो सकती है? इससे सारी स्टैट में एक बहुत बड़ी कंट्रोलिंग पैदा हो जाएगी। जो छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने पांच सात तम्बू रखे हुए हैं या कनातें रखी हुई हैं, उन पर भी इनके हिसाब से टैक्स लग जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो मकान बनाने के लिए सामान किराये पर देते हैं, जैसे बल्ली, पौड़ी, बगैरा बे भी अब टैक्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सेल्ज टैक्स तो उस चीज पर लगना चाहिए जिसका क्रय या विक्रय होता है। जो ठेकेदार सामान लाते हैं और लगाते हैं, वे तो स्वयं उस पर पहले ही सेल्ज टैक्स देकर आते हैं। इसलिए इस बिल पर पुनः विचार होना चाहिए क्योंकि इससे आम आदमी को,

छोटे छोटे लोगों को बड़ी परेशानी और तकलीफ पैदा होगी। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इसे फिलहाल पूरी तरह विचार करने के लिए सिलैक्ट कमेटी को रैफर कर दें।

श्री दुर्गा दत्त अत्री (राजौंद): स्पीकर साहब, माननीय मन्त्री जी ने हरियाणा साधारण विक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1989, आज हाउस में विचारार्थ तथा पास करने के लिए रखा है। वैसे तो हम इनसे बाहर नहीं हैं, इनके साथ हैं, लेकिन जहां तक कानून सो जानने की बात है, आप भी कानून के बड़े माहिर हैं और आपने कानून को बखूबर बड़ी बारीकी से समझा है। जहाँ तक मैंने इस संशोधन विधेयक को समझा है उससे ऐसा महसूस होता है कि इसको बनाते वक्त इस पर गहराई से विचार नहीं किया गया। सेल्ज टैक्स के मायने हैं कि जब किसी गुडज की सेल हो तो उस पर टैक्स लगाया जाए। इसमें जो मदें दी गई हैं उनमें गुडज का तो कहीं जिक्र नहीं है। इस बिल को पढने का समय तो बहुत कम मिला है लेकिन जो भी मदें पढी गई हैं, जिनमें संशोधन किया जा रहा है, उनमें कोई भी सेल की बात नहीं है। जैसे इस में चालो बल्ली की बात की, कनात की बात की, सजावट की बात की, ब्याह शादियों में तरह तरह के टैंट लगते हैं, उनकी बात की है। तो स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बिल पर पुनः

विगार करके दोबारा सदन में लाया जाए ताकि सरकार की छवि बनी रहें और निखर कर लोगों के सामने आये।

सेठ लछमन दास बजाज (करनाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी जो हरियाणा साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1989 लाये हैं, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ठेकेदारों पर जो बिक्री कर लगाया गया है, वह ठीक नहीं है। वे जो सामान बाजार से खरीदते हैं उस पर वे पहले ही प्रा सेल्ज टैक्स दे कर आते हैं और जो वे माल आगे किराये पर देते हैं उसकी वे कीमत वसूल करते हैं ठेकेदारी के तौर पर। इसके साथ साथ बल्लियां हैं, फट्टे हैं, पौड़ी है, कस्सी है, इन पर बिक्री कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा तो यही है कि इस बिल को मन्त्री जी वापिस ले लें। स्पीकर साहब, शामियाने और लाईट पर भी टैक्स लगाने की बात की गई है। जिस घर में शादी के मौके पर शामियाना या लाइट्स लगी होंगी, वहां पर विभाग का अधिकारी या कर्मचारी जाकर उसे देखेगा जिसका मतलब यह हुआ कि उस घर की तलाशी ली जाएगी। इस तरह बिल में हमारी सरकार को बदनाम करने वाली बात है। वैसे तो हम सरकार के साथ ही हैं, जो यह चाहेंगी वैसे करेंगे। लेकिन यह बिल ठीक नहीं है और इस पर पुनः विचार किया जाना जरूरी है। इस लिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इसको डैफर कर दें और पूरी तरह से सोच विचार के बाद दोबारा लाएं।

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (राव राम नारायण):

स्पीकर साहब यह बिल तो बिछल ठीक है और इसे कैबिनेट द्वारा ऐप्रूव किया गया ई। काँट्रैक्टर्ज पर पहले भी टैक्स था जो कुछ अर्से के लिए इन्ही की मांग पर स्थगित कर दिया गया था। अब उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है कि यह टैक्स उन पर कम्पोजिट तरीके से यानी टोटल वैल्यू पर 2 प्रतिशत के हिसाब से लगा दिया जाए। जैसे ब्रिक किलन ओनर्ज के केस में हम ने फैसला किया, उसी लाईन्ज पर इन पर टैक्स लगेगा। बाकी जो इस बिल के द्वारा अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वे ती कांसीक्बैशल हैं। कोर्ट्स के डिस्सिजन की वजह से कुछ क्लोजिज इधर उधर की गई हैं। मेन तो कंट्रैक्टर्ज पर टैक्स की बात है।

श्री मंगल सैन: तम्बुओं के बारे में क्या पोजीशन है?

राव राम नारायण: तम्बुओं पर तो टैक्स लगेगा। जो हायर परचेज का सिस्टम है उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। जो गुडज लीज करते हैं उन पर भी टैक्स लगेगा। स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं सदन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will take up the Bill clause by clause.

If the House agrees, all the clauses be put to vote together.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 to 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried. Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain) :

Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

***15.34 Hours**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 8th March, 1939).